रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112026-278145
CG-DL-E-24112026-278145

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2026/कार्तिक 29, 1948
No. 348] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2026/KARTIKA 29, 1948

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2026

विषय: सार्वजनिक क्रय के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 की दिनांक 07.09.2020 की अधिसूचना फ़ा.सं.डब्ल्यु-43/4/2019-आईपीएचडब्ल्यु-एमईआईटीवाई में संशोधन संबंधी।

सन्दर्भ:

(i) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020, 16.09.2020 और 19.07.2024 के आदेशों के जरिए यथा संशोधित आदेश सं. पी-45021/2/2017-बी.ई-II दिनांक 15.06.2017।

(ii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना संख्या डब्ल्यु-43/4/2019-आईपीएचडब्ल्यु-एमईआईटीवाई दिनांक 07.09.2020।

फा. सं. डब्ल्यु-43/2/2024-आईपीएचडब्ल्यु .—1. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने दिनांक 07.09.2020 की राजपत्र अधिसूचना फ़ा.सं. डब्ल्यु-43/4/2019-आईपीएचडब्ल्यु- एमईआईटीवाई के माध्यम

से, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 15.06.2017 के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के प्रावधानों के तहत, समय-समय पर संशोधित, जिसमें दिनांक 19.07.2024 का नवीनतम संशोधन भी शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिसूचित किया था।

2. दिनांक 12.10.2023 एवं 07.09.2020 की अधिसूचनाओं के खंड 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.12 के तहत परिभाषित डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर, थिन क्लाइंट, लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर और सर्वर के लिए स्थानीय सामग्री की गणना के मौजूदा प्रावधान यहां संशोधित किए जाते हैं। इस अधिसूचना के खंड 2.1 से 2.6 के तहत निर्दिष्ट आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए स्थानीय सामग्री की गणना की पद्धति, जिसमें नया जोड़ा गया उत्पाद, इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी शामिल है, यहां निर्धारित अनुसार होगी। इस अधिसूचना के प्रावधान इन छह उत्पादों के संबंध में दिनांक 12.10.2023 एवं 07.09.2020 की अधिसूचनाओं को प्रतिस्थापित करेंगे, जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह (6) महीने से प्रभावी होगा।

2.1 डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) / ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर (एआईओ-पीसी)

(अ) परिभाषा:

इस सूचना के प्रयोजनों के लिए, डेस्कटॉप पीसी / एआईओ पीसी को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिसमें आवश्यक रूप से निम्नलिखित घटक शामिल हों: एक प्रोसेसिंग यूनिट, प्राथमिक मेमोरी (आरएएम), सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी) / हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी) के रूप में स्टोरेज और एक अलग या एकीकृत डिस्प्ले यूनिट जो स्वप्रक्रिया रूप से संचालित होने में भी सक्षम हो।

(आ) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए प्रक्रिया :

डेस्कटॉप पीसी/एआईओ पीसी का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम)निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत का योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

क्र.सं.	**बीओएम में मुख्य इनपुट /डेस्कटॉप पीसी/एआईओ-पीसी के विनिर्माण के लिए चरण**	**घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/ स्थानीय सामग्री**
	1	**2**
1.0	#मेनबोर्ड / मदरबोर्ड की असेंबली जिसमें आई/ओ या एप्लिकेशन स्पेसिफिकेशन बोर्ड या ऐड-ऑन कार्ड शामिल हैं (वैकल्पिक)	घरेलू पीसीबी असेंबली* जिसमें आयातित और/या स्थानीय रूप से निर्मित कलपुर्जों के संघटक / सेमीकंडक्टर शामिल हैं, जिसमें बेयर पीसीबी का मूल्य शामिल नहीं है, भारत में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। मेनबोर्ड / मदरबोर्ड के घरेलू पीसीबी असेंबली के लिए देय मूल्य, वैकल्पिक बोर्ड के साथ या बिना, उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 20% होगा।

2.0	बेयर पीसीबी	घरेलू पीसीबी निर्माण जिसमें आयातित या स्थानीय रूप से निर्मित कलपुर्जों /इनपुट से इंसुलेटिंग सब्सट्रेट की तैयारी, लेयर प्रिंटिंग लेटर्स (लैमिनेटिंग), मास्किंग, प्लेटिंग, एचिंग और प्रोफाइलिंग आदि सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं। बेयर पीसीबी के कुल मूल्य का भार उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का **10%** होगा। बेयर पीसीबी के घरेलू निर्माण के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 10% होगा।
3.0	क) प्राथमिक मेमोरी का पीसीबीए (आरएएम)	पीसीबी* की घरेलू असेंबली का अर्थ है भारत में आयातित और/या घरेलू निर्मित घटकों, उप-असेंबली, और सेमीकंडक्टर का उपयोग करके उत्पाद की असेंबली। बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का मूल्य घरेलू असेंबली की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। प्राइमरी मेमोरी (आरएएम) की डोमेस्टिक पीसीबी असेंबली से संबंधित मूल्य, उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
	ख) प्राथमिक मेमोरी का घरेलू एटीएमपी (आरएएम)	जहां असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) संचालन के माध्यम से भारत में प्राइमरी मेमोरी (आरएएम) का निर्माण और पैकेजिंग की जाती है, वहां उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) के 6% का अतिरिक्त मूल्यवर्धन पीसीबी की घरेलू असेंबली के लिए माना जाएगा, जो ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट मूल्यवर्धन के अतिरिक्त होगा। तदनुसार, (क) प्राथमिक मेमोरी (रैम) के पीसीबीए और (ख) प्राथमिक मेमोरी (रैम) के घरेलू एटीएमपी से संबंधित कुल मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
4.0	क) स्टोरेज का पीसीबीए i) सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) या ii) हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी)	पीसीबी* की घरेलू असेंबली का अर्थ है भारत में आयातित और/या घरेलू स्तर पर निर्मित घटकों, उप-असेंबली, और सेमीकंडक्टर का उपयोग करके उत्पाद की असेंबली। बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का मूल्य घरेलू असेंबली की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। घरेलू पीसीबी भंडारण असेंबली के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
	ख) स्टोरेज का घरेलू एटीएमपी अर्थात सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी)	जहां भंडारण (एसएसडी) का निर्माण और पैकेजिंग भारत में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) संचालन के माध्यम से की जाती है, वहां उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) के 6% का अतिरिक्त मूल्यवर्धन घरेलू असेंबली के लिए माना जाएगा, जो ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट मूल्यवर्धन के अतिरिक्त होगा। तदनुसार, (क) भंडारण के पीसीबीए (एसएसडी) और (ख) भंडारण के घरेलू एटीएमपी (एसएसडी) से संबंधित कुल मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।

5.0	5(1) डिस्प्ले पैनल (एलईडी / एलसीडी आदि) असेंबली – एआईओ-पीसी के लिए	डिस्प्ले असेंबली की घरेलू असेंबली और परीक्षण (एलसीडी मॉड्यूल, बैकलाइट यूनिट, पोलराइजेशन फिल्म, फ्रेम और संबंधित यांत्रिक तत्वों जैसे उप-मॉड्यूल से)। इस चरण (क) के अंतर्गत डिस्प्ले पैनल असेंबली का मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा। ख) (क) के अंतर्गत आने वाली घरेलू उन्नत डिस्प्ले असेंबली में घरेलू चिप-ऑन-ग्लास (सीओजी) और चिप-ऑन-फ्लेक्स/फिल्म (सीओएफ) प्रोसेसिंग को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है। (ख) के अंतर्गत इस चरण में डिस्प्ले पैनल असेंबली का मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
	#5(2) कंप्यूटर मॉनिटर असेंबली – डेस्कटॉप पीसी के लिए	कंप्यूटर मॉनिटर असेंबली अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए। घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना पैरा 2.5 (कंप्यूटर मॉनिटर) के अनुसार की जाएगी। घरेलू रूप से विनिर्मित कंप्यूटर मॉनिटरों का मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
6.0	चेसिस / कैबिनेट जिसमें केबल्स और संबंधित सहायक उपकरण शामिल हैं।	समय-समय पर यथाअधिसूचित भारतीय मानकों को पूरा करने वाले घरेलू रूप से निर्मित कलपुर्जे/इनपुट से घरेलु रूप से निर्मित चेसिस / कैबिनेट घरेलू रूप से निर्मित चेसिस / कैबिनेट के लिए दिया गया मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
7.0	एसएमपीएस / पावर मॉड्यूल	घरेलू स्तर पर निर्मित और आयातित/घरेलू रूप से निर्मित उप-असेंबली, कलपुर्जों और घटकों से एसएमपीएस / पावर मॉड्यूल की घरेलू पीसीबी असेंबली, बशर्ते कि "एसएमपीएस" की असेंबली में उपयोग किए जाने वाले घरेलू रूप से निर्मित उप-असेंबली, कलपुर्जे और घटक न्यूनतम 25% होंगे ("एसएमपीएस / पावर मॉड्यूल" के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उप-असेंबली, कलपुर्जों और घटकों के कुल मूल्य का)। इस चरण के तहत एसएमपीएस / पावर मॉड्यूल के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 5% होगा।
8.0	कीबोर्ड / माउस अन्य एम्बेडेड पेरिफेरल्स (वाईफाई या अन्य लागू मॉड्यूल आदि), केबल, कनेक्टर्स और पैकेजिंग आदि के साथ ।	आयातित / घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और घटकों से कीबोर्ड / माउस का घरेलू पीसीबी असेंबली। इस चरण के तहत कीबोर्ड / माउस के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 2% होगा।

9.0	भारत में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास	इन-हाउस अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियाँ भारत के भीतर निर्माता द्वारा अपनी स्वयं की आरएंडडी अवसंरचना और मानव संसाधनों का उपयोग करके, या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के साथ पंजीकृत कानूनी रूप से अनुबंधित आरएंडडी इकाइयों के माध्यम से निष्पादित की जानी चाहिए। पात्र आर एंडडी को सीधे उस विशिष्ट उत्पाद मॉडल से जोड़ा जाना चाहिए जो मूल्यांकन के अधीन है और यह निम्न तक सीमित होगा: i) वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान: - उत्पाद और प्रणाली वास्तुकला विकास; या ii) एकीकृत सर्किट (आईसी) / सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिज़ाइन: - हार्डवेयर और फर्मवेयर सह-डिजाइन; या iii) प्रक्रिया और डिज़ाइन अनुकूलन: - सत्यापन, कैरेकटराईज़ेशन, प्रोटोटाइपिंग, और प्रयोगात्मक परीक्षण। ऐसी कोई भी गतिविधि भारत में तैनात मानव संसाधन का उपयोग करके की जाएगी और इससे भारत के भीतर सत्यापित आर्थिक मूल्य सृजन होगा। अनुसंधान एवं विकास से संबंधित लागतों का समर्थन ऑडिट योग्य रिकॉर्ड द्वारा किया जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इन-हाउस आरएंडडी गतिविधियों के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 8% होगा।
10.0	भारतीय डिजाइन / भारत में आईपीआर	भारतीय डिजाइन / भारत में आईपीआर का अर्थ है महत्वपूर्ण उत्पाद डिजाइन, आईसी / सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिजाइन, और संबंधित इंजीनियरिंग डिजाइन गतिविधियाँ जो भारत में आवेदक या उसके कानूनी रूप से अनुबंधित भारतीय डिजाइन इकाई द्वारा की जाती हैं। परिणामस्वरूप प्राप्त बौद्धिक संपदा (आईपी), जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, पंजीकृत डिजाइन, डिजाइन लाइसेंस/अधिकार और संरक्षित व्यापार रहस्य शामिल हैं, को संबंधित भारतीय सक्षम प्राधिकारी (पेटेंट कार्यालय, डिजाइन कार्यालय, कॉपीराइट रजिस्ट्री आदि, जहां पंजीकरण योग्य हो) के साथ पंजीकृत कराया जाएगा, और आवेदक को सीए/वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा जो इसकी उत्पत्ति, भारत में विकास और स्वामित्व या आवेदक को वैध हस्तांतरण की पुष्टि करता हो। किसी भी प्रकार का स्थानीयकरण, मामूली संशोधन, डिज़ाइन दस्तावेज़ों में परिवर्तन, तैयार उत्पाद के लिए परीक्षण या निर्माण समर्थन, या भारत में भारत के बाहर विकसित किसी भी डिज़ाइन या बौद्धिक संपदा का केवल पंजीकरण, स्थानांतरण या लाइसेंसिंग घरेलू रूप से संचालित डिजाइनिंग के रूप में योग्य नहीं होगा। ऐसे डिज़ाइन और आईपीआर के लिए दिया गया मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 10% होगा।

11.0	#अंतिम असेंबली और परीक्षण	घरेलू स्तर पर असेंबली और अंतिम परीक्षण अनिवार्य रूप से भारत में ही किए जाने चाहिए ताकि समय-समय पर अधिसूचित लागू भारतीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। घरेलू असेंबली और अंतिम परीक्षण के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 5% होगा।

*नोट: - *भारत में सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी (एसएमटी)प्रक्रिया के माध्यम से बेयर पीसीबी पर सभी कलपुर्जों और घटकों की **प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)** की प्रक्रिया की जानी है।*

 # बीओएम आइटम से संबंधित गतिविधियाँ क्र.सं. 1 (मुख्य बोर्ड/मदर बोर्ड सहित आई/ओ आदि की असेंबली), क्र.सं. 5(2) (कंप्यूटर मॉनिटर असेंबली – डेस्कटॉप पीसी के लिए), और बीओएम आइटम क्र.सं. 11 (अंतिम असेंबली और परीक्षण) से संबंधित गतिविधियाँ भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए अनिवार्य रूप से की जाएंगी, चाहे आपूर्तिकर्ता की श्रेणी कोई भी हो, अर्थात यदि ये आइटम भारत में किसी उत्पाद के लिए नहीं किए जाते हैं, तो यह सार्वजनिक खरीद के लिए बोली के लिए योग्य नहीं होगा क्योंकि यह अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है।

2.2 लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर (लैपटॉप)

(अ) परिभाषा:

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, लैपटॉप पीसी (बाजार में आमतौर पर लैपटॉप/नोटबुक/अल्ट्राबुक आदि के रूप में जाना जाता है) में अनिवार्य रूप से एक प्रोसेसिंग यूनिट, प्राथमिक मेमोरी (रैम), सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी)/हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी) के रूप में स्टोरेज, कीबोर्ड, टचपैड और/या ट्रैकपॉइंट, एक एकीकृत डिस्प्ले यूनिट, एकीकृत बैटरी होनी चाहिए और यह स्वप्रक्रिया रूप से संचालित करने में सक्षम होना चाहिए।

(आ) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए प्रक्रिया :

लैपटॉप पीसी का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में यथाविनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत का योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

क्र.सं.	**बीओएम में मुख्य इनपुट /लैपटॉप पीसी के विनिर्माण के लिए चरण**	**घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/ स्थानीय सामग्री**
	1	2
1.0	# मेनबोर्ड/मदरबोर्ड की असेंबली जिसमें इनपुट/आउटपुट या एप्लिकेशन स्पेसिफिकेशन बोर्ड या ऐड-ऑन कार्ड (वैकल्पिक) शामिल हैं।	घरेलू पीसीबी असेंबली* जिसमें आयातित और/या स्थानीय रूप से निर्मित कलपुर्जों के घटक / सेमीकंडक्टर शामिल हैं, लेकिन बेयर पीसीबी के मूल्य शामिल नहीं है, भारत में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। मेनबोर्ड / मदरबोर्ड की घरेलू पीसीबी असेंबली के लिए देय मूल्य, वैकल्पिक बोर्ड के साथ या बिना, उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 15% होगा।

2.0	बेयर पीसीबी	घरेलू पीसीबी निर्माण में इन्सुलेटिंग सब्सट्रेट की तैयारी, लैमिनेट करने के लिए प्रिंटिंग लेयर्स (लैमिनेटिंग), मास्किंग, प्लेटिंग, एचिंग और प्रोफाइलिंग आदि सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो आयातित और/या स्थानीय रूप से निर्मित कलपुर्जों/इनपुट से की जाती हैं। बेयर पीसीबी के घरेलू निर्माण के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 10% होगा।
3.0	क) प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) का पीसीबीए	(क) पीसीबी* की घरेलू असेंबली का अर्थ है आयातित और/या घरेलू स्तर पर निर्मित घटकों, उप-असेंबली और अर्धचालकों का उपयोग करके भारत में उत्पाद की असेंबली करना। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) के मूल्य को घरेलू असेंबली की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। घरेलू पीसीबी असेंबली ऑफ प्राइमरी मेमोरी (आरएएम) के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
	ख) प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) का घरेलू एटीएमपी	जहां प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) भारत में असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) संचालन के माध्यम से निर्मित और पैक की जाती है, वहां उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 6% अतिरिक्त मूल्य संवर्धन घरेलू असेंबली के लिए माना जाएगा, जो ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट मूल्य संवर्धन से अधिक है। तदनुसार, (क) प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) के पीसीबीए और (ख) प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) के घरेलू एटीएमपी के लिए कुल मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
4.0	क) स्टोरेज का पीसीबीए i) सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) या ii) हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी)	पीसीबी* की घरेलू असेंबली का अर्थ है भारत में आयातित और/या घरेलू निर्मित घटकों, उप-असेंबली, और सेमीकंडक्टर का उपयोग करके उत्पाद की असेंबली। बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का मूल्य घरेलू असेंबली की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। घरेलू पीसीबी भंडारण असेंबली के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
	ख) स्टोरेज का घरेलू एटीएमपी अर्थात सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी)	जहां भारत में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) संचालन के माध्यम से स्टोरेज (एसएसडी) का निर्माण और पैकेजिंग की जाती है, वहां उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 6% अतिरिक्त मूल्य संवर्धन घरेलू असेंबली के लिए माना जाएगा, जो ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट मूल्य संवर्धन से अधिक है। तदनुसार, क) पीसीबीए ऑफ स्टोरेज (एसएसडी) और (ख) घरेलू एटीएमपी ऑफ स्टोरेज (एसएसडी) के लिए कुल मूल्य, उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 10% होगा।

5.0	क) डिस्प्ले पैनल (एलईडी / एलसीडी आदि) असेंबली	क) घरेलू असेंबली और डिस्प्ले का परीक्षण (एलईडी / एलसीडी मॉड्यूल, बैकलाइट यूनिट, पोलराइजेशन फिल्म, फ्रेम और संबंधित यांत्रिक तत्वों जैसे उप-मॉड्यूल से)। इस चरण के तहत डिस्प्ले पैनल असेंबली के लिए देय मूल्य (क) उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 4% होगा।
	ख) सीओजी / सीओएफ के साथ डिस्प्ले पैनल (एलईडी / एलसीडी आदि)	ख) घरेलू उन्नत डिस्प्ले असेंबली (क) के अंतर्गत आती है, जिसमें घरेलू चिप-ऑन-ग्लास (सीओजी) और चिप-ऑन-फ्लेक्स/फिल्म (सी ओ एफ़) प्रोसेसिंग को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है। तदनुसार, (ख) में इस चरण के तहत डिस्प्ले पैनल असेंबली के लिए आवंटित मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
6.0	केबल्स और एक्सेसरीज़ के साथ चेसिस / कैबिनेट।	समय-समय पर यथाअधिसूचित भारतीय मानकों को पूरा करने वाले घरेलू स्तर पर निर्मित भाग/ इनपुट्स से घरेलू रूप से निर्मित चेसिस / कैबिनेट। घरेलू रूप से निर्मित चेसिस / कैबिनेट के लिए दिया गया मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
7.0	पावर मॉड्यूल / पावर एडाप्टर	आयातित या घरेलू स्तर पर निर्मित सब-असेंबली, कलपुर्जों और घटक का उपयोग करके, देश के भीतर निर्मित 'पावर मॉड्यूल / पावर एडाप्टर' और उनकी पीसीबी असेंबली*। इसके लिए शर्त यह है कि 'पावर मॉड्यूल / पावर एडाप्टर' की असेंबली में इस्तेमाल होने वाले घरेलू स्तर पर निर्मित सब-असेंबली, कलपुर्जे और घटक, 'पावर मॉड्यूल / पावर एडाप्टर' के निर्माण में प्रयुक्त सभी सब-असेंबली, कलपुर्जों और घटक के कुल मूल्य का कम से कम 25% होने चाहिए। इस चरण के तहत पावर मॉड्यूल / पावर एडाप्टर के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 5% होगा।
8.0	बैटरी पैक	आयातित/घरेलू रूप से निर्मित उप-असेंबली, कलपुर्जों और घटकों से घरेलू रूप से निर्मित बैटरी पैक, बशर्ते कि "बैटरी पैक" के असेंबली में उपयोग किए जाने वाले घरेलू निर्मित भाग और घटक न्यूनतम 25% (बैटरी मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग किए गए उप-असेंबली, कलपुर्जों और घटकों के कुल मूल्य का) होंगे। घरेलू रूप से निर्मित बैटरी पैक का मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 5% होगा।
9.0	कीबोर्ड / माउस अन्य एम्बेडेड पेरिफेरल्स के साथ	आयातित / घरेलू स्तर पर निर्मित कलपुर्जों और घटकों से कीबोर्ड / माउस का घरेलू पीसीबी असेंबली* ।

		इस चरण के तहत कीबोर्ड / माउस के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 2% होगा।
10.0	भारत में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास	इन-हाउस अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियाँ भारत के भीतर निर्माता द्वारा अपनी स्वयं की आरएंडडी अवसंरचना और मानव संसाधनों का उपयोग करके, या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के साथ पंजीकृत कानूनी रूप से अनुबंधित आरएंडडी इकाइयों के माध्यम से की जाएंगी। पात्र आर एंडडी को मूल्यांकन के तहत विशिष्ट उत्पाद मॉडल से सीधे जोड़ा जाना चाहिए और यह निम्न तक सीमित होना चाहिए i) वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान: - उत्पाद और प्रणाली वास्तुकला विकास; या ii) एकीकृत सर्किट (आईसी)/सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिज़ाइन: - हार्डवेयर और फर्मवेयर सह-डिज़ाइन; या iii) प्रक्रिया और डिज़ाइन अनुकूलन: - सत्यापन, चरित्रांकन, प्रोटोटाइपिंग, और प्रयोगात्मक परीक्षण। ऐसी कोई भी गतिविधि भारत में तैनात मानव संसाधन का उपयोग करके की जानी चाहिए, और इसके परिणामस्वरूप भारत के भीतर ऐसी आर्थिक मूल्य-सृष्टि होनी चाहिए जिसे सत्यापित किया जा सके।अनुसंधान और विकास से जुड़े खर्चों के लिए ऑडिट किए जा सकने वाले रिकॉर्ड होने चाहिए, और इन खर्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या वैधानिक ऑडिटर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इन-हाउस आरएंडडी गतिविधियों के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 8% होगा।
11.0	भारतीय डिजाइन / भारत में आईपीआर	भारतीय डिजाइन / भारत में आईपीआर का अर्थ है महत्वपूर्ण उत्पाद डिजाइन, आईसी / सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिजाइन, और संबंधित इंजीनियरिंग डिजाइन गतिविधियाँ जो आवेदक या उसके कानूनी रूप से अनुबंधित भारतीय डिजाइन इकाई द्वारा भारत में की जाती हैं। परिणामी बौद्धिक संपदा (आईपी), जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, पंजीकृत डिज़ाइन, डिज़ाइन लाइसेंस/अधिकार और संरक्षित व्यापार रहस्य शामिल हैं, संबंधित भारतीय सक्षम प्राधिकरण (पेटेंट कार्यालय, डिज़ाइन कार्यालय, कॉपीराइट रजिस्ट्री आदि, जहां पंजीकृत हो) के पास पंजीकृत होगी, और आवेदक को इसके उत्पत्ति, भारत में विकास, और स्वामित्व या वैध आवंटन की पुष्टि करने वाला सीए / वैधानिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। भारत के बाहर विकसित किसी डिज़ाइन या आईपी के लिए भारत में केवल पंजीकरण, हस्तांतरण या लाइसेंसिंग; या किसी तैयार उत्पाद के संबंध में लोकलाइज़ेशन, मामूली बदलाव, डिज़ाइन दस्तावेज़ों में फेरबदल, टेस्टिंग या विनिर्माण सहायता—इनमें से किसी को भी 'घरेलू स्तर पर की गई

		डिज़ाइनिंग' नहीं माना जाएगा। ऐसे डिज़ाइन और आईपीआर के लिए दिया गया मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 10% होगा।
12.0	#अंतिम असेंबली और परीक्षण	भारत में घरेलू असेंबली और अंतिम परीक्षण अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए ताकि समय-समय पर अधिसूचित किए गए लागू भारतीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। घरेलू असेंबली और अंतिम परीक्षण के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 5% होगा।

*नोट: - ***भारत में सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी (एसएमटी)प्रक्रिया के माध्यम से बेयर पीसीबी पर सभी कलपुर्जों और घटकों की प्रिंटेड** सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) की प्रक्रिया की की जानी है।*

***#** बीओएम मद से संबंधित गतिविधियाँ क्र.सं. 1 (आई/ओ आदि सहित मेनबोर्ड / मदरबोर्ड की असेंबली) और बीओएम मद क्र.सं. 12 (अंतिम असेंबली और परीक्षण) से संबंधित गतिविधियाँ भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए अनिवार्य रूप से की जाएंगी, चाहे आपूर्तिकर्ता की श्रेणी कोई भी हो, अर्थात यदि ये वस्तुएं भारत में किसी उत्पाद के लिए नहीं की जातीं, तो यह सार्वजनिक खरीद के लिए बोली के लिए योग्य नहीं होगी क्योंकि यह अनिवार्य शर्त पूरी नहीं कर रहा है।*

2.3 थिन क्लाइंट्स

(अ) परिभाषा:

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, थिन क्लाइंट को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिसमें आवश्यक रूप से निम्नलिखित घटक शामिल हों: एक प्रोसेसिंग यूनिट, प्राथमिक मेमोरी (आरएएम), सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी)/हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी) के रूप में संग्रहण, और एक अलग या एकीकृत डिस्प्ले यूनिट जो स्वप्रक्रिया रूप से संचालित करने में सक्षम हो।

(आ) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए प्रक्रिया :

थिन क्लाइंट का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) मुख्य इनपुट की लागत का योग होगा जैसा कि निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में निर्दिष्ट है, बशर्ते इनपुट व्यक्तिगत रूप से तालिका के संबंधित कॉलम 2 में निर्दिष्ट मूल्य संवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

क्र.सं.	बीओएम में मुख्य इनपुट/ थिन क्लाइंट्स के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/ स्थानीय सामग्री
	1	2
1.0	#मेनबोर्ड/मदरबोर्ड की असेंबली, जिसमें आई/ओ या एप्लिकेशन-विशिष्ट बोर्ड या ऐड-ऑन कार्ड (वैकल्पिक) शामिल हैं।	घरेलू पीसीबी असेंबली* (जिसमें आयातित और/या स्थानीय रूप से निर्मित पुर्जे/सेमीकंडक्टर शामिल हों, लेकिन जिसमें बेयर पीसीबी का मूल्य शामिल न हो) भारत में ही की जानी अनिवार्य है। मेनबोर्ड/मदरबोर्ड (चाहे उसके साथ वैकल्पिक बोर्ड हों या न हों) की घरेलू पीसीबी असेंबली का मूल्य, उत्पाद के कुल सामग्री बिल ' (बीओएम) का 20% होगा।
2.0	बेयर पीसीबी	घरेलू पीसीबी निर्माण जिसमें आयातित या स्थानीय रूप से निर्मित कलपुर्जों /इनपुट्स से इंसुलेटिंग सब्सट्रेट की तैयारी, लेयर प्रिंटिंग लेटर्स (लैमिनेटिंग), मास्किंग, प्लेटिंग, एचिंग और प्रोफाइलिंग आदि शामिल हैं। बेयर पीसीबी के घरेलू निर्माण के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 10% होगा।
3.0	क) प्राथमिक मेमोरी(आरएएम) का पीसीबीए	पीसीबी* की घरेलू असेंबली का अर्थ है भारत में आयातित और/या घरेलू निर्मित घटकों, उप-असेंबली, और सेमीकंडक्टर का उपयोग करके उत्पाद की असेंबली। बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का मूल्य घरेलू असेंबली की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। घरेलू पीसीबी असेंबली ऑफ प्राइमरी मेमोरी (आरएएम) के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
	ख) प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) का घरेलू एटीएमपी	जहां प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) का निर्माण और पैकेजिंग भारत में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) संचालन के माध्यम से की जाती है, वहां उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) के 6% का अतिरिक्त मूल्यवर्धन घरेलू असेंबली के लिए माना जाएगा, जो ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट मूल्यवर्धन के अतिरिक्त होगा। तदनुसार, (क) प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) और (ख) प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) के घरेलू एटीएमपी के पीसीबीए के लिए कुल मूल्य, उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
4.0	क) स्टोरेज का पीसीबीए i.) सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) या	पीसीबी* की घरेलू असेंबली का अर्थ है भारत में आयातित और/या घरेलू निर्मित घटकों, उप-असेंबली, और सेमीकंडक्टर का उपयोग करके उत्पाद की असेंबली। बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का मूल्य घरेलू असेंबली की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

	ii) हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी)	घरेलू पीसीबी भंडारण असेंबली के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
	ख) घरेलू एटीएमपी स्टोरेज अर्थात सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी)	जहां भारत में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) संचालन के माध्यम से स्टोरेज (एसएसडी) का निर्माण और पैकेजिंग किया जाता है, वहां उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 6% अतिरिक्त मूल्य संवर्धन घरेलू असेंबली के लिए माना जाएगा, जो ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट मूल्य संवर्धन से अधिक है। तदनुसार, (क) भंडारण के पीसीबीए (एसएसडी) और (ख) भंडारण के घरेलू एटीएमपी (एसएसडी) से संबंधित कुल मूल्य ,उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
5.0	#कम्प्यूटर मॉनिटर असेंबली	घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना पैरा 2.5 (कंप्यूटर मॉनिटर) के अनुसार की जाएगी। कंप्यूटर मॉनिटरों का मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% तक होगा। इसकी गणना पैरा 2.5 (कंप्यूटर मॉनिटर) के अनुसार आनुपातिक आधार पर की जाएगी।
6.0	चेसिस / कैबिनेट जिसमें केबल्स और संबंधित सहायक उपकरण शामिल हैं।	घरेलू स्तर पर निर्मित चेसिस/कैबिनेट, समय-समय पर अधिसूचित भारतीय मानकों के अनुरूप घरेलू स्तर पर निर्मित पुर्जों/सामग्रियों से निर्मित होनी चाहिए। तदनुसार, घरेलू स्तर पर निर्मित चेसिस/कैबिनेट का मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
7.0	एसएमपीएस / पावर मॉड्यूल	आयातित या घरेलू स्तर पर निर्मित सब-असेंबली, पुर्जों और कंपोनेंट्स का उपयोग करके एसएमपीएस का घरेलू विनिर्माण और पीसीबी असेंबली* की जा सकती है। इसके लिए शर्त यह है कि "एसएमपीएस / पावर मॉड्यूल" की असेंबली में इस्तेमाल होने वाली घरेलू सब-असेंबली, कलपुर्जे और घटक , कुल इस्तेमाल किए गए सब-असेंबली, कलपुर्जों और घटक के मूल्य का कम से कम 25% होने चाहिए। इस चरण के तहत एसएमपीएस / पावर मॉड्यूल के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 5% होगा।
8.0	कीबोर्ड / माउस अन्य एम्बेडेड पेरिफेरल्स (वाईफाई या अन्य लागू मॉड्यूल आदि), केबल, कनेक्टर्स और पैकेजिंग आदि।	कीबोर्ड / माउस की घरेलू पीसीबी असेंबली* जिसमें आयातित/घरेलू निर्मित कलपुर्जों और घटकों से अन्य एम्बेडेड पेरिफेरल्स शामिल हैं। इस चरण के तहत कीबोर्ड / माउस और अन्य एम्बेडेड पेरिफेरल्स के लिए दिया गया मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 2% होगा।
9.0	भारत में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास	इन-हाउस अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियाँ भारत के भीतर निर्माता द्वारा अपनी स्वयं की आरएंडडी अवसंरचना और मानव संसाधनों का उपयोग करके, या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)

		के साथ पंजीकृत कानूनी अनुबंधित आरएंडडी इकाइयों के माध्यम से निष्पादित की जानी चाहिए। पात्र आरएंडडी को मूल्यांकन के तहत विशिष्ट उत्पाद मॉडल से सीधे जोड़ा जाना चाहिए और यह निम्न तक सीमित होना चाहिए: i) वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान: - उत्पाद और प्रणाली वास्तुकला विकास; या ii) एकीकृत सर्किट (आईसी)/ सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिज़ाइन: - हार्डवेयर और फर्मवेयर सह-डिजाइन; या iii) प्रक्रिया और डिज़ाइन अनुकूलन: - सत्यापन, चरित्रांकन, प्रोटोटाइपिंग, और प्रयोगात्मक परीक्षण। ऐसी कोई भी गतिविधि भारत में तैनात मानव संसाधन का उपयोग करके की जाएगी और इससे भारत के भीतर सत्यापित आर्थिक मूल्य सृजन होगा। अनुसंधान एवं विकास से संबंधित लागतों का समर्थन ऑडिट योग्य रिकॉर्ड द्वारा किया जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 8% होगा।
10.0	भारतीय डिजाइन / भारत में आईपीआर	भारतीय डिजाइन / भारत में आईपीआर का अर्थ है महत्वपूर्ण उत्पाद डिजाइन, आईसी/सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिजाइन, और संबंधित इंजीनियरिंग डिजाइन गतिविधियाँ जो आवेदक या उसके कानूनी रूप से अनुबंधित भारतीय डिज़ाइन इकाई द्वारा भारत में की जाती हैं। परिणामी बौद्धिक संपदा (आईपी), जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, पंजीकृत डिज़ाइन, डिज़ाइन लाइसेंस/अधिकार और संरक्षित व्यापार रहस्य शामिल हैं, संबंधित भारतीय सक्षम प्राधिकरण (पेटेंट कार्यालय, डिज़ाइन कार्यालय, कॉपीराइट रजिस्ट्री आदि, जहां पंजीकृत हो) के पास पंजीकृत होगी, और आवेदक को इसके उत्पत्ति, भारत में विकास, और स्वामित्व या वैध आवंटन की पुष्टि करने वाला सीए/वैधानिक ऑडिटर प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। किसी भी प्रकार का स्थानीयकरण, मामूली संशोधन, डिज़ाइन दस्तावेज़ों में परिवर्तन, तैयार उत्पाद के लिए परीक्षण या निर्माण समर्थन, या भारत में भारत के बाहर विकसित किसी भी डिज़ाइन या बौद्धिक संपदा का केवल पंजीकरण, स्थानांतरण या लाइसेंसिंग घरेलू रूप से संचालित डिजाइनिंग के रूप में योग्य नहीं होगा। ऐसे डिज़ाइन और आईपीआर के लिए दिया गया मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल(बीओएम) का 10% होगा।
11.0	#अंतिम असेंबली और परीक्षण	भारत में घरेलू असेंबली और अंतिम परीक्षण अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए ताकि समय-समय पर अधिसूचित किए गए लागू भारतीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

		घरेलू असेंबली और अंतिम परीक्षण के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 5% होगा।

*नोट: - * भारत में सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी (एसएमटी) प्रक्रिया के माध्यम से सभी भागों और घटकों की **प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)** बेयर पीसीबी पर की जानी है।*

 # बीओएम मद क्र.सं. 1 (इनपुट/मदरबोर्ड की असेंबली जिसमें इनपुट/आउटपुट आदि शामिल हैं), क्र.सं. 5 (कंप्यूटर मॉनिटर असेंबली) और बीओएम मद क्र.सं. 11 (अंतिम असेंबली और परीक्षण) से संबंधित गतिविधियाँ भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए आपूर्तिकर्ता की श्रेणी कुछ भी हो, अर्थात् यदि ये कार्य किसी उत्पाद के लिए भारत में नहीं किए जाते हैं, तो वह उत्पाद सार्वजनिक खरीद के लिए बोली के योग्य नहीं होगा क्योंकि वह अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करता है।

2.4 सर्वर

(क) परिभाषा:

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, एक सर्वर में अनिवार्य रूप से मदर बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी (रैम), हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी)/सॉलिड स्टेट स्टोरेज ड्राइव (एसएसडी), पावर सप्लाई यूनिट (एसएमपीएस), चेसिस, कनेक्टिंग केबल और फर्मवेयर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल होंगे।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना की प्रक्रिया:

सर्वर का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 1 में निर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत का योग होगा, बशर्ते कि इनपुट व्यक्तिगत रूप से तालिका के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करते हों।

क्रम सं	**बीओएम में मुख्य इनपुट / सर्वर के विनिर्माण के चरण**	**मूल्य संवर्धन / इनपुट को घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपेक्षित स्थानीय सामग्री**
	1	**2**
1.0	मेनबोर्ड / मदरबोर्ड या एप्लिकेशन स्पेसिफिकेशन बोर्ड की असेंबली	घरेलू पीसीबी असेंबली* जिसमें आयातित और/या स्थानीय रूप से निर्मित भागों के घटक / सेमीकंडक्टर शामिल हैं, लेकिन बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, भारत में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। i) जहाँ सीपीयू और जीपीयू अलग-अलग बोर्ड(ओं) पर लगाए गए हैं, सीपीयू बोर्ड के घरेलू पीसीबी असेंबली का मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 15% होगा, और जीपीयू बोर्ड के घरेलू पीसीबी असेंबली को दिया गया मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा। ii) जहाँ सीपीयू और जीपीयू एक ही बोर्ड पर माउंट किए गए हैं, चाहे वे अलग-अलग चिप्स के रूप में हों या एक ही चिप में एकीकृत हों, ऐसे बोर्ड का घरेलू पीसीबी असेंबली का मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 25% होगा।

2.0	बेयर पीसीबी	घरेलू पीसीबी निर्माण जिसमें आयातित या स्थानीय रूप से निर्मित भागों/इनपुट्स से इंसुलेटिंग सब्सट्रेट की तैयारी, लेयर प्रिंटिंग लेटर्स (लैमिनेटिंग), मास्किंग, प्लेटिंग, एचिंग और प्रोफाइलिंग आदि शामिल हैं। बेयर पीसीबी के घरेलू निर्माण के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
3.0	क) प्राथमिक मेमोरी(आरएएम) का पीसीबीए	पीसीबी* की घरेलू असेंबली का अर्थ है भारत में आयातित और/या घरेलू निर्मित घटकों, उप-असेंबली, और सेमीकंडक्टर का उपयोग करके उत्पाद की असेंबली। बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का मूल्य घरेलू असेंबली की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। घरेलू पीसीबी असेंबली ऑफ प्राइमरी मेमोरी (आरएएम) के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
	ख) प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) का घरेलू एटीएमपी	जहां प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) भारत में असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) संचालन के माध्यम से निर्मित और पैक की जाती है, वहां उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 6% अतिरिक्त मूल्य संवर्धन घरेलू असेंबली के लिए माना जाएगा, जो ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट मूल्य संवर्धन से अधिक है। तदनुसार, (क) प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) और (ख) प्राथमिक मेमोरी के घरेलू एटीएमपी (आरएएम) के पीसीबीए के लिए कुल मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
4.0	क) स्टोरेज का पीसीबीए i) सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) या ii) हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी)	पीसीबी* की घरेलू असेंबली का अर्थ है भारत में आयातित और/या घरेलू निर्मित घटकों, उप-असेंबली, और सेमीकंडक्टर का उपयोग करके उत्पाद की असेंबली। बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का मूल्य घरेलू असेंबली की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। घरेलू पीसीबी भंडारण असेंबली के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
	ख) घरेलू एटीएमपी स्टोरेज अर्थात सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी)	जहां भारत में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) संचालन के माध्यम से स्टोरेज (एसएसडी) का निर्माण और पैकेजिंग किया जाता है, वहां उत्पाद के कुल बिल ऑफ मटेरियल्स (बीओएम) का 6% अतिरिक्त मूल्य संवर्धन घरेलू असेंबली के लिए माना जाएगा, जो ऊपर क्लॉज (क) में निर्दिष्ट मूल्य संवर्धन से अधिक है। तदनुसार, क) पीसीबीए ऑफ स्टोरेज (एसएसडी) और (ख) घरेलू एटीएमपी ऑफ स्टोरेज (एसएसडी) के लिए कुल मूल्य उत्पाद के कुल बिल ऑफ मटेरियल्स (बीओएम) का 10% होगा।

5.0	चेसिस/कैबिनेट केबल्स और अन्य सहायक उपकरणों के साथ।	घरेलू रूप से निर्मित चेसिस/कैबिनेट, जो समय-समय पर सूचित भारतीय मानकों को पूरा करने वाले घरेलू निर्मित भागों / इनपुट्स से प्राप्त हैं। घरेलू रूप से निर्मित चेसिस / कैबिनेट के लिए दिया गया मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
6.0	एसएमपीएस/पावर मॉड्यूल	आयातित/घरेलू रूप से निर्मित उप-असेंबली, भागों और घटकों से एसएमपीएस का घरेलू निर्मित और घरेलू पीसीबी असेंबली* इस शर्त पर कि "एसएमपीएस / पावर मॉड्यूल" के असेंबली में उपयोग किए जाने वाले घरेलू उप-असेंबली, भाग और घटक न्यूनतम 25% ("एसएमपीएस / पावर मॉड्यूल" के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उप-असेंबली, भागों और घटकों के कुल मूल्य का) होंगे । इस चरण के तहत एसएमपीएस / पावर मॉड्यूल के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 8% होगा।
7.0	ऐड-ऑन कंट्रोलर आरएआईडी कंट्रोलर / एडाप्टर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर	आयातित/घरेलू निर्मित चिप्स और कलपुर्ज़े/घटकों से आयातित/घरेलू निर्मित बेयर पीसीबी पर घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण, जिसमें बेयर पीसीबी का मूल्य शामिल नहीं है। घरेलू पीसीबी असेंबली ऑफ एड-ऑन-कंट्रोलर्स का मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
8.0	भारत में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डेवलपमेंट) निर्माता द्वारा भारत के भीतर अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों का उपयोग करके, या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के साथ पंजीकृत कानूनी रूप से अनुबंधित अनुसंधान एवं विकास इकाइयों के माध्यम से आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डेवलपमेंट) गतिविधियां निष्पादित की जानी चाहिए। पात्र अनुसंधान एवं विकास का मूल्यांकन किए जा रहे विशिष्ट उत्पाद मॉडल से सीधा संबंध होना चाहिए और यह निम्नलिखित तक सीमित होना चाहिए: i) वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान: - उत्पाद और सिस्टम आर्किटेक्चर विकास; या ii) एकीकृत सर्किट (आईसी)/सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिजाइन: - हार्डवेयर और फर्मवेयर सह-डिजाइन; या iii) प्रक्रिया और डिजाइन अनुकूलन: - सत्यापन, वर्णन, प्रोटोटाइपिंग और प्रायोगिक परीक्षण। ऐसी कोई भी गतिविधि भारत में नियोजित मानव संसाधन का उपयोग करके की जाएगी और इससे भारत के भीतर सत्यापित आर्थिक मूल्य सृजन होगा। अनुसंधान एवं विकास से संबंधित लागतों का समर्थन ऑडिट योग्य रिकॉर्ड द्वारा किया जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 8% होगा।

9.0	भारत में भारतीय डिजाइन / आईपीआर	भारत में भारतीय डिजाइन / आईपीआर का अर्थ है महत्वपूर्ण उत्पाद डिजाइन, आईसी / सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिजाइन, और संबंधित इंजीनियरिंग डिजाइन गतिविधियाँ जो आवेदक या उसके कानूनी रूप से अनुबंधित भारतीय डिजाइन इकाई द्वारा भारत में की जाती हैं। परिणामी बौद्धिक संपदा (आईपी), जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, पंजीकृत डिज़ाइन, डिज़ाइन लाइसेंस/अधिकार और संरक्षित व्यापार रहस्य शामिल हैं, संबंधित भारतीय सक्षम प्राधिकरण (पेटेंट कार्यालय, डिज़ाइन कार्यालय, कॉपीराइट रजिस्ट्री आदि, जहां पंजीकृत हो) के पास पंजीकृत होगी, और आवेदक को इसके उत्पत्ति, भारत में विकास, और स्वामित्व या वैध आवंटन की पुष्टि करने वाला सीए/ वैधानिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। किसी भी प्रकार का स्थानीयकरण, मामूली संशोधन, डिज़ाइन दस्तावेज़ों में परिवर्तन, तैयार उत्पाद के लिए परीक्षण या निर्माण समर्थन, या भारत में भारत के बाहर विकसित किसी भी डिज़ाइन या बौद्धिक संपदा का केवल पंजीकरण, स्थानांतरण या लाइसेंसिंग घरेलू रूप से संचालित डिजाइनिंग के रूप में योग्य नहीं होगा। ऐसे डिज़ाइन और आईपीआर के लिए दिया गया मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
10.0	#अंतिम असेंबली और परीक्षण	भारत में घरेलू असेंबली और अंतिम परीक्षण अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए ताकि समय-समय पर सूचित किए गए लागू भारतीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। घरेलू असेंबली और अंतिम परीक्षण के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 5% होगा।

*नोट: - *भारत में सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी (एसएमटी)प्रक्रिया के माध्यम से बेयर पीसीबी पर सभी भागों और घटकों की* ***प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)*** *की प्रक्रिया की जानी है।*

*बीओएम मद क्र.सं. 1 (मेनबोर्ड / मदरबोर्ड सहित आई/ओ आदि की असेंबली) और बीओएम मद क्र.सं. 10 (अंतिम असेंबली और परीक्षण) से संबंधित गतिविधियाँ भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए अनिवार्य रूप से की जाएंगी, चाहे आपूर्तिकर्ता की श्रेणी कोई भी हो, अर्थात यदि ये मद भारत में किसी उत्पाद के लिए नहीं किए जाते हैं, तो यह सार्वजनिक खरीद के लिए बोली के लिए योग्य नहीं होगा क्योंकि यह अनिवार्य शर्त पूरी नहीं कर रहा है।*

2.5 कंप्यूटर मॉनिटर

(अ) परिभाषा:

इस सूचना के उद्देश्य के लिए, एक कंप्यूटर मॉनिटर (जिसे बाजार में आमतौर पर मॉनिटर के नाम से जाना जाता है) में अनिवार्य रूप से एक एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले असेंबली, लॉजिक कार्ड, पावर सप्लाई एडाप्टर और डिस्प्ले पोर्ट्स के साथ

कैबिनेट शामिल होंगे, जो इसे डेस्कटॉप पीसी से जोड़ने या एआईओ/लैपटॉप पीसी/टैबलेट पीसी के साथ एकीकृत होने के लिए होंगे।

(आ) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए प्रक्रिया :

कंप्यूटर मॉनिटर का घरेलू बिल ऑफ मटेरियल (बीओएम) मुख्य इनपुट की लागत का योग होगा जैसा कि निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में निर्दिष्ट है, बशर्ते इनपुट व्यक्तिगत रूप से तालिका के कॉलम 2 में निर्दिष्ट मूल्य संवर्धन आवश्यकता को पूरा करते हो

क्रम सं	**बीओएम में मुख्य इनपुट/कंप्यूटर मॉनिटर के विनिर्माण के चरण**	**मूल्य संवर्धन / इनपुट को घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक स्थानीय सामग्री**
	1	2
1.0	#लॉजिक काड्र्स	घरेलू पीसीबी असेंबली* जिसमें आयातित और/या स्थानीय रूप से निर्मित भागों के घटक / सेमीकंडक्टर शामिल हैं, लेकिन बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, भारत में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। घरेलू पीसीबी लॉजिक काड्र्स असेंबली के लिए देय मूल्य, चाहे वैकल्पिक बोर्ड हों या बिना, उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 15% होगा।
2.0	बेयर पीसीबी	घरेलू पीसीबी निर्माण जिसमें आयातित या स्थानीय रूप से निर्मित भागों/इनपुट से इंसुलेटिंग सब्सट्रेट की तैयारी, लेयर प्रिंटिंग लेटर्स (लैमिनेटिंग), मास्किंग, प्लेटिंग, एचिंग और प्रोफाइलिंग आदि सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं। बेयर पीसीबी के घरेलू निर्माण के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
3.0	# क) डिस्प्ले पैनल (एलईडी / एलसीडी आदि) असेंबली	डिस्प्ले की घरेलू असेंबली और परीक्षण (एलईडी/एलसीडी मॉड्यूल, बैकलाइट यूनिट, पोलराइजेशन फिल्म, फ्रेम और संबंधित यांत्रिक तत्वों जैसे उप-मॉड्यूलों से) अनिवार्य रूप से भारत में ही किया जाना चाहिए। इस चरण (क) के अंतर्गत डिस्प्ले पैनल असेंबली से संबंधित मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
	ख) सीओजी / सीओएफ के साथ डिस्प्ले पैनल (एलईडी / एलसीडी आदि)	(क) के अंतर्गत आने वाली घरेलू उन्नत डिस्प्ले असेंबली में घरेलू चिप-ऑन-ग्लास (सीओजी) और चिप-ऑन-फ्लेक्स/फिल्म (सीओएफ) प्रोसेसिंग को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है। (ख) के अंतर्गत इस चरण में डिस्प्ले पैनल असेंबली का मूल्य उत्पाद के कुल बिल ऑफ मैटेरियल्स (बीओएम) का 20% होगा।
4.0	चेसिस/कैबिनेट और अन्य सहायक उपकरण (केबल)	घरेलू रूप से निर्मित चेसिस/कैबिनेट, जो समय-समय पर सूचित भारतीय मानकों को पूरा करने वाले घरेलू निर्मित भागों / इनपुट्स से प्राप्त हैं।

		घरेलू रूप से निर्मित चेसिस/कैबिनेट के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 15% होगा।
5.0	पावर मॉड्यूल / एडाप्टर	आयातित / घरेलू रूप से निर्मित उप-असेंबली, भागों और घटकों से पावर मॉड्यूल / पावर एडाप्टर की घरेलू निर्मित और घरेलू पीसीबी असेंबली, बशर्ते कि "पावर मॉड्यूल / पावर एडाप्टर" के असेंबली में उपयोग किए जाने वाले घरेलू उप-असेंबली, भाग और घटक न्यूनतम 25% ("पावर मॉड्यूल / पावर एडाप्टर" के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उप-असेंबली, भागों और घटकों के कुल मूल्य का) होंगे । इस चरण के तहत पावर मॉड्यूल / एडाप्टर के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
6.0	भारत में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डेवलपमेंट) निर्माता द्वारा भारत के भीतर अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों का उपयोग करके, या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के साथ पंजीकृत कानूनी रूप से अनुबंधित अनुसंधान एवं विकास इकाइयों के माध्यम से आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डेवलपमेंट) गतिविधियां निष्पादित की जानी चाहिए। पात्र अनुसंधान एवं विकास का मूल्यांकन किए जा रहे विशिष्ट उत्पाद मॉडल से सीधा संबंध होना चाहिए और यह निम्नलिखित तक सीमित होना चाहिए: i) वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान: - उत्पाद और सिस्टम आर्किटेक्चर विकास; या ii) एकीकृत सर्किट (आईसी)/सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिजाइन: - हार्डवेयर और फर्मवेयर सह-डिजाइन; या iii) प्रक्रिया और डिजाइन अनुकूलन: - सत्यापन, वर्णन, प्रोटोटाइपिंग और प्रायोगिक परीक्षण। ऐसी कोई भी गतिविधि भारत में नियोजित मानव संसाधन का उपयोग करके की जाएगी और इससे भारत के भीतर सत्यापित आर्थिक मूल्य सृजन होगा। अनुसंधान एवं विकास से संबंधित लागतों का समर्थन ऑडिट योग्य रिकॉर्ड द्वारा किया जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए दिया गया मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
7.0	भारत में भारतीय डिजाइन / आईपीआर	भारत में भारतीय डिजाइन / आईपीआर का अर्थ है महत्वपूर्ण उत्पाद डिजाइन, आईसी / सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिजाइन, और संबंधित इंजीनियरिंग डिजाइन गतिविधियाँ जो आवेदक या उसके कानूनी रूप से अनुबंधित भारतीय डिजाइन इकाई द्वारा भारत में की जाती हैं। परिणामी बौद्धिक संपदा (आईपी), जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, पंजीकृत डिज़ाइन, डिज़ाइन लाइसेंस/अधिकार और संरक्षित व्यापार रहस्य शामिल हैं, संबंधित भारतीय सक्षम प्राधिकरण (पेटेंट कार्यालय, डिज़ाइन कार्यालय, कॉपीराइट रजिस्ट्री आदि, जहां पंजीकृत हो) के पास पंजीकृत होगी, और आवेदक को इसके उत्पत्ति, भारत में विकास, और स्वामित्व या वैध आवंटन की पुष्टि करने वाला सीए/वैधानिक ऑडिटर प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। किसी भी प्रकार का स्थानीयकरण, मामूली संशोधन, डिज़ाइन दस्तावेज़ों में परिवर्तन,

		तैयार उत्पाद के लिए परीक्षण या निर्माण समर्थन, या भारत में भारत के बाहर विकसित किसी भी डिज़ाइन या बौद्धिक संपदा का केवल पंजीकरण, स्थानांतरण या लाइसेंसिंग घरेलू रूप से संचालित डिजाइनिंग के रूप में योग्य नहीं होगा। ऐसे डिज़ाइन और आईपीआर के लिए दिया गया मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
8.0	# अंतिम असेंबली और परीक्षण	भारत में घरेलू असेंबली और अंतिम परीक्षण अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए ताकि समय-समय पर सूचित किए गए लागू भारतीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। घरेलू असेंबली और अंतिम परीक्षण के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।

*नोट: - *सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी (एसएमटी) प्रक्रिया के माध्यम से बेयर पीसीबी पर सभी भागों और घटकों की **प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)** भारत में की जानी है।*

 # बीओएम मद क्र.सं. 1 (मुख्य बोर्ड/मदरबोर्ड की असेंबली जिसमें इनपुट/आउटपुट और लॉजिक कार्ड आदि शामिल हैं), बीओएम मद क्र.सं. 3(क) डिस्प्ले पैनल (एलईडी/एलसीडी आदि) असेंबली और बीओएम मद क्र.सं. 8 (अंतिम असेंबली और परीक्षण) से संबंधित गतिविधियाँ भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए अनिवार्य रूप से की जाएंगी, चाहे आपूर्तिकर्ता की श्रेणी कोई भी हो, अर्थात् यदि ये कार्य भारत में किसी उत्पाद के लिए नहीं किए जाते हैं, तो वह उत्पाद सार्वजनिक खरीद के लिए बोली लगाने के योग्य नहीं होगा क्योंकि वह अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करता है।

2.6 इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी)

(अ) परिभाषा:

इस सूचना के उद्देश्य के लिए, एक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी (जिसे बाजार में आमतौर पर आईएफपीडी के नाम से जाना जाता है) में अनिवार्य रूप से एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले असेंबली, लॉजिक कार्ड, पावर सप्लाई एडाप्टर और डिस्प्ले पोर्ट्स के साथ कैबिनेट आदि शामिल होंगे।

(आ) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए प्रक्रिया :

इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) मुख्य इनपुट की लागत का योग होगा जैसा कि निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में निर्दिष्ट है, बशर्ते इनपुट व्यक्तिगत रूप से तालिका के कॉलम 2 में निर्दिष्ट मूल्य संवर्धन आवश्यकता को पूरा करता हो।

क्र.सं.	**बीओएम में मुख्य इनपुट / इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) के निर्माण के चरण**	**मूल्य संवर्धन / इनपुट को घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक स्थानीय सामग्री**
	1	**2**
1.0	# मेनबोर्ड / मदरबोर्ड को आई/ओ या एप्लिकेशन स्पेसिफिकेशन बोर्ड या ऐड-ऑन कार्ड्स के साथ असेंबली (वैकल्पिक)	घरेलू पीसीबी असेंबली* जिसमें आयातित और/या स्थानीय रूप से निर्मित भागों के घटक/सेमीकंडक्टर शामिल हैं, लेकिन बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, भारत में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। मेनबोर्ड / मदरबोर्ड की घरेलू पीसीबी असेंबली के लिए देय मूल्य, वैकल्पिक बोर्ड के साथ या बिना, उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 15% होगा।
2.0	बेयर पीसीबी	घरेलू पीसीबी निर्माण जिसमें आयातित या स्थानीय रूप से निर्मित भागों/इनपुट्स से इंसुलेटिंग सब्सट्रेट की तैयारी, लेयर प्रिंटिंग लेटर्स (लैमिनेटिंग), मास्किंग, प्लेटिंग, एचिंग और प्रोफाइलिंग आदि शामिल हैं। बेयर पीसीबी के घरेलू निर्माण के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
3.0	क) प्राथमिक मेमोरी का पीसीबीए (आरएएम)	पीसीबी* की घरेलू असेंबली का अर्थ है भारत में आयातित और/या घरेलू निर्मित घटकों, उप-असेंबली, और सेमीकंडक्टर का उपयोग करके उत्पाद की असेंबली। बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का मूल्य घरेलू असेंबली की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। घरेलू पीसीबी असेंबली ऑफ प्राइमरी मेमोरी (आरएएम) के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
	ख) प्राथमिक मेमोरी का घरेलू एटीएमपी (आरएएम)	जहां प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) भारत में असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) संचालन के माध्यम से निर्मित और पैक की जाती है, वहां उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 6% अतिरिक्त मूल्य संवर्धन घरेलू असेंबली के लिए माना जाएगा, जो ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट मूल्य संवर्धन से अधिक है। तदनुसार, (क) प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) और (ख) प्राथमिक मेमोरी के घरेलू एटीएमपी (आरएएम) के पीसीबीए के लिए कुल मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
4.0	क) स्टोरेज का पीसीबीए i) सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी)	पीसीबी* की घरेलू असेंबली का अर्थ है भारत में आयातित और/या घरेलू निर्मित घटकों, उप-असेंबली, और सेमीकंडक्टर का उपयोग करके उत्पाद की असेंबली। बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का मूल्य घरेलू असेंबली की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

	या ii) हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी)	घरेलू पीसीबी भंडारण असेंबली के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
	ख) घरेलू एटीएमपी स्टोरेज अर्थात सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी)	जहां भारत में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) संचालन के माध्यम से स्टोरेज (एसएसडी) का निर्माण और पैकेजिंग किया जाता है, वहां उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 6% अतिरिक्त मूल्य संवर्धन घरेलू असेंबली के लिए माना जाएगा, जो ऊपर क्लॉज (क) में निर्दिष्ट मूल्य संवर्धन से अधिक है। तदनुसार, क) पीसीबीए ऑफ स्टोरेज (एसएसडी) और (ख) घरेलू एटीएमपी ऑफ स्टोरेज (एसएसडी) के लिए कुल मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
5.0	लॉजिक काड्र्स / माइक्रो कंट्रोलर / टच कार्ड या कोई अन्य वैकल्पिक कार्ड आदि (पीसीबीए)	आयातित/घरेलू स्तर पर निर्मित चिप्स** और आयातित/घरेलू स्तर पर निर्मित पुर्जों/घटकों से निर्मित लॉजिक कार्डों की घरेलू पीसीबी असेंबली, जिसमें लॉजिक कार्ड या टच कार्ड आदि के केवल पीसीबी का मूल्य शामिल नहीं है। घरेलू पीसीबी लॉजिक कार्ड असेंबली के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 4% होगा।
6.0	# क) इंटरैक्टिव डिस्प्ले ग्लास पैनल असेंबली	डिस्प्ले असेंबली का घरेलू असेंबली और परीक्षण (एलसीडी मॉड्यूल, बैकलाइट यूनिट, पोलराइजेशन फिल्म, फ्रेम और संबंधित यांत्रिक तत्वों जैसे उप-मॉड्यूलों से) भारत में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इस चरण के तहत इंटरैक्टिव डिस्प्ले ग्लास पैनल असेंबली के लिए दिया जाने वाला मूल्य (क) उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 10% होगा।
	ख) सीओजी / सीओएफ के साथ इंटरैक्टिव डिस्प्ले ग्लास पैनल असेंबली	घरेलू उन्नत डिस्प्ले असेंबली (क) के अंतर्गत आती है, जिसमें घरेलू चिप-ऑन-ग्लास (सीओजी) और चिप-ऑन-फ्लेक्स / फिल्म (सीओएफ) प्रसंस्करण का अतिरिक्त समावेश है। इस चरण के तहत इंटरैक्टिव डिस्प्ले ग्लास पैनल असेंबली के लिए दिया जाने वाला मूल्य (ख) उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 20% होगा।
7.0	केबल और सहायक उपकरणों के साथ चेसिस या बाहरी फ्रेम	घरेलू रूप से निर्मित, घरेलू स्रोत/निर्मित भागों / इनपुट्स से जो समय-समय पर सूचित भारतीय मानकों को पूरा करते हैं। घरेलू रूप से निर्मित चेसिस/कैबिनेट के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 5% होगा।
8.0	पावर मॉड्यूल / एडाप्टर	घरेलू स्तर पर निर्मित और घरेलू पीसीबी असेंबली* पावर मॉड्यूल / पावर एडॉप्टर की, आयातित / घरेलू स्तर पर निर्मित उप-असेंबली, पुर्जों और घटकों से निर्मित की जाएगी, बशर्ते कि "पावर मॉड्यूल / एडॉप्टर" की असेंबली में उपयोग की जाने वाली घरेलू स्तर पर निर्मित उप-असेंबली, पुर्जों और घटकों का मूल्य "पावर मॉड्यूल /

		पावर एडॉप्टर" के निर्माण में उपयोग की जाने वाली उप-असेंबली, पुर्जों और घटकों के कुल मूल्य का न्यूनतम 25% होगा। इस चरण के तहत पावर मॉड्यूल / एडाप्टर के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल बिल ऑफ मैटेरियल्स (बीओएम) का 5% होगा।
9.0	भारत में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास	निर्माता द्वारा भारत के भीतर अपने स्वयं के अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डेवलपमेंट) बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों का उपयोग करके, या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के साथ पंजीकृत कानूनी रूप से अनुबंधित अनुसंधान एवं विकास इकाइयों के माध्यम से आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डेवलपमेंट) गतिविधियां निष्पादित की जानी चाहिए। पात्र अनुसंधान एवं विकास का मूल्यांकन किए जा रहे विशिष्ट उत्पाद मॉडल से सीधा संबंध होना चाहिए और यह निम्नलिखित तक सीमित होना चाहिए: i) वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान: - उत्पाद और सिस्टम आर्किटेक्चर विकास; या ii) एकीकृत सर्किट (आईसी) / सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिजाइन: - हार्डवेयर और फर्मवेयर सह-डिजाइन; या iii) प्रक्रिया और डिजाइन अनुकूलन: - सत्यापन, लक्षण वर्णन, प्रोटोटाइपिंग और प्रायोगिक परीक्षण। ऐसी कोई भी गतिविधि भारत में नियोजित मानव संसाधन का उपयोग करके की जाएगी और इससे भारत के भीतर सत्यापित आर्थिक मूल्य सृजन होगा। अनुसंधान एवं विकास से संबंधित लागतों का समर्थन ऑडिट योग्य रिकॉर्ड द्वारा किया जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 8% होगा।
10.0	भारत में भारतीय डिजाइन / आईपीआर	भारत में भारतीय डिजाइन/आईपीआर का अर्थ है महत्वपूर्ण उत्पाद डिजाइन, आईसी/सेमीकंडक्टर मॉड्यूल या आईपी डिजाइन, और संबंधित इंजीनियरिंग डिजाइन गतिविधियाँ जो आवेदक या उसके कानूनी रूप से अनुबंधित भारतीय डिजाइन इकाई द्वारा भारत में की जाती हैं। परिणामी बौद्धिक संपदा (आईपी), जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, पंजीकृत डिज़ाइन, डिज़ाइन लाइसेंस/अधिकार और संरक्षित व्यापार रहस्य शामिल हैं, संबंधित भारतीय सक्षम प्राधिकरण (पेटेंट कार्यालय, डिज़ाइन कार्यालय, कॉपीराइट रजिस्ट्री आदि, जहां पंजीकृत हो) के पास पंजीकृत होगी, और आवेदक को इसके उत्पत्ति, भारत में विकास, और स्वामित्व या वैध आवंटन की पुष्टि करने वाला सीए / वैधानिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। किसी भी प्रकार का स्थानीयकरण, मामूली संशोधन, डिज़ाइन दस्तावेज़ों में परिवर्तन, तैयार उत्पाद के लिए परीक्षण या निर्माण समर्थन, या भारत में भारत के बाहर विकसित किसी भी डिज़ाइन या बौद्धिक संपदा का केवल पंजीकरण, स्थानांतरण या लाइसेंसिंग घरेलू रूप से संचालित डिजाइनिंग के रूप में योग्य नहीं

		होगा। ऐसे डिज़ाइन और आईपीआर के लिए देय मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 8% होगा।
11.0	# अंतिम असेंबली और परीक्षण	भारत में घरेलू असेंबली और अंतिम परीक्षण अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए ताकि समय-समय पर सूचित किए गए लागू भारतीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। घरेलू असेंबली और अंतिम परीक्षण के लिए दिया जाने वाला मूल्य उत्पाद के कुल सामग्री बिल (बीओएम) का 5% होगा।

*नोट: - * भारत में सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी (एसएमटी) प्रक्रिया के माध्यम से बेयर पीसीबी पर सभी भागों और घटकों की **प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)** की जानी है।*

 # बीओएम मद क्र.सं. 1 (मुख्य बोर्ड/मदरबोर्ड की असेंबली जिसमें इनपुट/आउटपुट आदि शामिल हैं), बीओएम मद क्र.सं. 6(क) इंटरेक्टिव डिस्प्ले ग्लास पैनल असेंबली और बीओएम मद क्र.सं. 11 (अंतिम असेंबली और परीक्षण) से संबंधित गतिविधियाँ भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए अनिवार्य रूप से की जाएंगी, चाहे आपूर्तिकर्ता की श्रेणी कोई भी हो, अर्थात् यदि ये कार्य किसी उत्पाद के लिए भारत में नहीं किए जाते हैं, तो वह उत्पाद सार्वजनिक खरीद के लिए बोली लगाने के योग्य नहीं होगा क्योंकि वह अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करता है।

3. अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह (6) माह के बाद प्रभावी होगी और संशोधित अधिसूचना जारी होने तक वैध रहेगी।

4. क्रय वरीयता, समय-समय पर संशोधित, डीपीआईआईटी के सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 दिनांक 19.07.2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

5. यह अधिसूचना राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद के लिए सभी केंद्रीय योजनाओं (सीएस)/केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं (सीएसएस) पर भी लागू होगी, यदि परियोजना या योजना भारत सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित है।

6. **स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्यवर्धन की गणना की प्रक्रिया:**

6.1 घरेलू निर्माताओं से प्राप्त सामग्री का बिल (डीओएम_बीओएम) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर गणना की जा सकती है:

क) उत्पाद में प्रयुक्त सभी इनपुट की लागतों का योग (इनपुट की खरीद पर लगने वाले शुल्क और करों सहित, उन शुल्कों को छोड़कर जिन पर छूट/सेट-ऑफ लिया जा सकता है) और जिन्हें सीधे या किसी घरेलू व्यापारी या मध्यस्थ के माध्यम से आयात नहीं किया गया है। या

ख) उत्पाद का एक्स-फैक्ट्री मूल्य, कर पश्चात लाभ में से उत्पाद के उत्पादन में (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) प्रयुक्त आयातित सामग्री की लागतों का योग में से वारंटी लागतों का योग घटाकर (इनपुट की खरीद पर लगने वाले शुल्क और करों सहित, उन शुल्कों को छोड़कर जिन पर छूट/सेट-ऑफ लिया जा सकता है) या

ग) बाजार मूल्य घटाकर उत्पादन के बाद माल, बीमा और अन्य हैंडलिंग लागतें घटाकर लाभ के बाद से वारंटी लागत घटाकर उत्पाद के उत्पादन में इनपुट के रूप में उपयोग किए गए आयातित बिल ऑफ मटेरियल की राशि (जिसमें इनपुट

की खरीद पर लगाए गए शुल्क और कर शामिल हैं, सिवाय उन इनपुट के जिनके लिए क्रेडिट / सेट-ऑफ लिया जा सकता है) से बिक्री और विपणन व्यय।

6.2 कुल सामग्री बिल (कुल बीओएम) उपलब्ध डेटा के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर गणना की जा सकती है:

(क) उत्पाद में प्रयुक्त सभी इनपुट की लागतों का योग (इनपुट की खरीद पर लगाए गए शुल्क और करों सहित, सिवाय उन शुल्कों के जिन पर छूट/सेट-ऑफ लिया जा सकता है)। या

(ख) उत्पाद का एक्स-फैक्ट्री मूल्य, कर पश्चात लाभ और वारंटी लागतों को घटाकर। या

(ग) बाजार मूल्य घटाकर पोस्ट-प्रोडक्शन माल, बीमा और अन्य हैंडलिंग लागत घटाकर कर लाभ के बाद लाभ, वारंटी लागत से बिक्री और विपणन व्यय को घटाकर।

6.3 घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकलित किया जा सकता है:

घरेलू मूल्य संवर्धन $$\text{DVA (\%)} = \left(\frac{\text{Dom_BOM}}{\text{Total BoM}}\right) \times 100$$

7. **घरेलू मूल्य संवर्धन का सत्यापन**

क) लोक क्रय (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017, दिनांक 19.07.2024 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, बोलीदाता को एक स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह पुष्टि हो कि प्रस्तावित वस्तु 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' या 'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के लिए निर्धारित स्थानीय सामग्री आवश्यकता को पूरा करती है। बोलीदाता को उन स्थानों का विवरण भी देना होगा जहां स्थानीय मूल्यवर्धन किया गया है। बोलीदाता को स्व-प्रमाणन में दावा किए गए घरेलू मूल्यवर्धन को प्रमाणित करने के लिए **अनुबंध-क** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में विधिवत पूर्ण घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) की गणना प्रस्तुत करनी होगी। **अनुबंध-क** के बिना स्व-प्रमाणन मान्य नहीं होगा और इसलिए अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख) 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खरीद के मामलों में, स्थानीय आपूर्तिकर्ता को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक (कंपनियों के मामले में) या एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट (कंपनियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) से स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देने वाला प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।

ग) झूठी घोषणाएँ सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के नियम 175(1)(i)(h) के तहत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होंगी, जिसके लिए बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 151(iii) के अनुसार प्रतिबंधित किया जा सकता है, साथ ही व्यय विभाग के दिनांक 2 नवंबर, 2021 के कार्यालय ज्ञापन-संख्या एफ.1/20/2018-पीपीडी अनुसार बोली लगाने, किसी एक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रतिबंधित करने और आदेशों को रद्द करने के अन्य प्रावधान भी लागू हो सकते हैं, जो समय-समय पर संशोधित कानून के तहत अनुमत हों।

घ) यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद(उत्पादों) में स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्यवर्धन के संबंध में किसी बोलीदाता के दावे के विरुद्ध खरीद एजेंसी या शिकायतकर्ता को खरीद एजेंसी या संबंधित मंत्रालय/विभाग के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो अनुबंध/खरीद आदेश आदि जारी होने के बाद, उसे एसटीक्यूसी/एमईआईटीवाई को भेजा जाएगा।

ड़) एसटीक्यूसी को भेजी गई किसी भी शिकायत का निपटारा 4 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। बोलीदाता को खरीद एजेंसियों के माध्यम से एसटीक्यूसी को इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद(उत्पादों) में दावा किए गए घरेलू मूल्यवर्धन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि बोलीदाता द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो संबंधित प्रयोगशालाएं दावे की सत्यता स्थापित करने के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई कर सकती हैं।

च) घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद के लिए 2 लाख रुपये या उनके मूल्य का 1% (अधिकतम 5 लाख रुपये तक), जो भी अधिक हो, का शिकायत शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एसटीक्यूसी में जमा करना होगा। शिकायत गलत पाए जाने पर, शिकायत शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। शिकायत सही पाई जाने पर, शिकायतकर्ता द्वारा जमा किया गया शुल्क बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

8. एमईआईटीवाई इस अधिसूचना के कार्यान्वयन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में स्थानीय सामग्री से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय होगा। एसटीक्यूसी के निर्णय के विरुद्ध स्थानीय सामग्री की गणना से संबंधित किसी भी विवाद या स्पष्टीकरण या शिकायतकर्ता या किसी भी मंत्रालय/विभाग द्वारा प्राप्त या अग्रेषित किसी भी नई शिकायत की स्थिति में, मामले की एमईआईटीवाई द्वारा जाँच की जाएगी। आवेदक को मूल्यांकनाधीन उत्पाद के लिए मांगे गए घरेलू मूल्यवर्धन के समर्थन में एमईआईटीवाई को सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उचित सत्यापन के बाद, एमईआईटीवाई का निर्णय इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। एमईआईटीवाई में ऐसे सभी मामलों की एक समिति द्वारा नीचे दिए अनुसार जाँच की जाएगी:

i) समूह समन्वयक/वैज्ञानिक - 'जी' (आईपीएचडब्लू) - अध्यक्ष

ii) एसटीक्यूसी का प्रतिनिधि - सदस्य

iii) अनुसंधान एवं विकास विभाग, एमईआईटीवाई के प्रतिनिधि - सदस्य

iv) अध्यक्ष द्वारा सह-चयनित कोई अन्य सदस्य - सदस्य

v) आईपीएचडब्लू प्रभाग से वैज्ञानिक-'ई'/'एफ' - सदस्य सचिव

सुशील पाल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 07.09.2020 प्रकाशित किया गया था और बाद में एसओ संख्या 4591(E) दिनांक 12.10.2023 द्वारा संशोधित किया गया।

अनुबंध–क

[(इस अधिसूचना के खंड 6.4 को देखें)]

घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) की गणना और स्व-प्रमाणन के लिए सांकेतिक प्रारूप

क) उत्पाद और विनिर्माता विवरण

क्रम सं	**विवरण**	**ब्योरा**
1	विनिर्माता/आवेदक का नाम	*[विनिर्माता का नाम भरें]*
2	ब्रांड और उत्पाद मॉडल	*[ब्रांड और मॉडल नंबर डालें]*
3	भारत में विनिर्माण स्थान(ओं)	*[निर्माण सुविधा/सुविधाओं का पूरा पता भरें]*
4	मांगा गया वर्गीकरण	*[क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता/क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता]*
5	अन्य प्रासंगिक विवरण (यदि कोई हो) : वैकल्पिक	*[जीएसटीआईएन / पंजीकरण विवरण भरें]*

ख) घरेलू गतिविधियाँ और उत्पाद नाम की मूल्य संवर्धन गणना *: [उत्पाद का नाम भरें जैसे, लैपटॉप / सर्वर / डेस्कटॉप पीसी/ आईएफपीडी/ मॉनिटर आदि]*

क्रमसं	**उत्पाद-विशिष्ट पात्र घरेलू गतिविधियाँ**	**उत्पाद इनपुट की / बीओएम कुल लागत (₹) में**	**घरेलू सामग्री बिल की लागत (डीओएम_बीओएम) (₹)** *(अधिसूचना के खंड 6.1 के अनुसार लागू विकल्प क, ख, या ग चुनें)*	**संदर्भ मूल्यवर्धन/भार की अधिकतम सीमा (%) में**	**स्तंभ 'घ ' में दर्शाए गए पात्र भार के अधीन दावा किया गया मूल्यवर्धन (%) में**
	क	ख	ग	घ	ड़
1	मेन बोर्ड / मदरबोर्ड / लॉजिक कार्ड असेंबली *(भारत मे अनिवार्य एसएमटी)*	*[मूल्य भरें]*	*[मूल्य भरें]*	*15%–25% (उत्पाद विशिष्ट)*	*[% भरें]*
2	बेयर पीसीबी निर्माण	-	-	*10%*	
3	प्राथमिक मेमोरी (आरएएम) पीसीबीए / एटीएमपी	-	-	*(पीसीबीए) / 10% तक*	

				(एटीएमपी)	
4	स्टोरेज (एसएसडी/एचडीडी) पीसीबीए / एटीएमपी	-	-	*(पीसीबीए) / 10% तक (एटीएमपी)*	
5	डिस्प्ले/पैनल असेंबली, कंप्यूटर मॉनिटर असेंबली *(मॉनिटर्स/आईएफपीडी के लिए अनिवार्य)*	-	-	*4%–10% (मानक) / 20% तक (सीओजी/सीओएफ)*	
6	चेसिस/कैबिनेट/मैकेनिकल कलपुर्ज़े	-	-	*5%–15% (उत्पाद विशिष्ट)*	
7	पावर मॉड्यूल/ एसएमपीएस/एडाप्टर/ बैटरी पैक	-	-	*5%–10% (उत्पाद विशिष्ट) (न्यूनतम 25% घरेलू भाग)*	
8	पेरिफेरल्स / ऐड-ऑन कंट्रोलर्स / अन्य कलपुर्ज़े	-	-	*2%–4%*	
9	भारत में इन-हाउस आरएंडडी *(डीएसआईआर पंजीकृत/ऑडिटेड)*	-	-	*8%*	
10	भारतीय डिज़ाइन/भारत में आईपीआर *(पंजीकृत आईपी)*	-	-	*8%–10%*	
11	अंतिम असेंबली और परीक्षण *(भारत में अनिवार्य)*	-	-	5%–10%	
कुल		**₹ [कुल सामग्री बिल (कुल बीओएम)]**	**₹ [घरेलू राशि]**	**—**	**[डीवीए %]**

ग) स्व-प्रमाणन और घोषणा

1. स्व-प्रमाणीकरण एवं घोषणा (धारा 6.4 और 7 के अनुसार)

मैं/हम,_____ [अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम], _____ [कंपनी का नाम] की ओर से, एतद्वारा घोषणा एवं प्रमाणित करता/करती हूँ कि:

1. उत्पाद [ब्रांड एवं मॉडल भरें] अधिसूचना संख्या डबल्यू-43/2/2024-आईपीएचडबल्यू के अनुसार [श्रेणी-I / श्रेणी-II] स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए आवश्यक स्थानीय सामग्री सीमा को पूरा करता/करती है।

2. घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) निम्नलिखित सुविधा स्थान(स्थानों) पर किया जाता है: [सुविधा का पूरा पता भरें]।

3. अनिवार्य घरेलू परिचालन (मेनबोर्ड/मदरबोर्ड पीसीबीए और अंतिम असेंबली एवं परीक्षण, साथ ही जहां लागू हो वहां डिस्प्ले असेंबली) अधिसूचना के अनुसार भारत में किए गए हैं।

4. ऊपर दी गई जानकारी सत्य, सही और लेखापरीक्षित अभिलेखों पर आधारित है। मैं/हम समझते हैं कि झूठी घोषणाओं पर सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के नियम 175(1)(i)(h) और नियम 151(iii) के तहत जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

दिनांक और स्थान: *(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर)*

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट/वैधानिक लेखापरीक्षक प्रमाणन

(₹10 करोड़ से अधिक की खरीद या अनुसंधान एवं विकास/भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार मूल्यवर्धन का दावा करने के लिए अनिवार्य)

मैं/हम, _____ [कंपनी का नाम] के वैधानिक लेखा परीक्षक/लागत लेखापरीक्षक/अभ्यास चार्टर्ड अकाउंटेंट, ने लेखा-पुस्तकों, लागत अभिलेखों, सामग्री बिल और सहायक वित्तीय/अनुसंधान एवं विकास अभिलेखों का सत्यापन किया है।

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि:

1. [ब्रांड और मॉडल भरें] के लिए परिकलित घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) [परिकलित डीवीए भरें] % है, जो कि प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी/गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए लागू है।

2. यह गणना इस अधिसूचना संख्या डबल्यू-43/2/2024-आईपीएचडबल्यू में निर्धारित पद्धति का कड़ाई से पालन करती है।

दिनांक और स्थान *(चार्टर्ड अकाउंटेंट/वैधानिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर)*

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2026

Subject: Amendment to Electronic Products under Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017-Notification F.No. W-43/4/2019-IPHW-MeitY dated 07.09.2020 – reg.

Reference:

(i) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017, as amended by Orders dated 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020, 16.09.2020 and 19.07.2024.

(ii) Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) Electronic Products Notification No. W-43/4/2019-IPHW-MeitY dated 07.09.2020.

F. No. W-43/2/2024-IPHW.—1. The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) had notified Electronic Products, vide Gazette Notification F. No. W-43/4/2019-IPHW-MeitY dated 07.09.2020, under the provisions of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 dated 15.06.2017, as amended from time to time, including the latest amendment dated 19.07.2024.

2. The existing provisions for calculation of Local Content for Desktop Personal Computers, Thin Clients, Laptop Personal Computers, Computer Monitors and Servers defined under Clauses 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 and 4.12 respectively, of the Notification dated 07.09.2020 & 12.10.2023, are hereby amended. The methodology for the calculation of Local Content for the IT Hardware products specified under Clauses 2.1 to 2.6 of this Notification, including the newly added product, Interactive Flat Panel Display, shall be as prescribed herein. The provisions of this Notification shall supersede the Notification dated 12.10.2023 & 07.09.2020 in respect of these six products, with effect from six (06) months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

2.1 Desktop Personal Computers (PCs) / All-in-One Personal Computer (AIO-PC)

(A) Definition:

For the purposes of this Notification, a Desktop PC / AIO PC shall be defined as a system that necessarily includes the following components: a Processing Unit, primary memory (RAM), storage as Solid-state Drive (SSD) / hard disk drive (HDD), and a separate or integrated display unit and the same must be capable of operating independently.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Desktop PC/AIO PC would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in the corresponding Column 2 of the table:

Sr. No.	**Main inputs in BoM / stages for manufacture of Desktop PC/AIO-PC**	**Value addition / local content required for the input to be classified as domestic BOM**
	1	**2**
1.0	#Assembly of Mainboard / Motherboard including I/O or application specification board or add on cards (optional)	Domestic PCB Assembly* including components / semiconductors from imported and / or locally manufactured parts but excluding the value of the bare PCB, should be mandatorily done in India. The value attributable to Domestic PCB Assembly of mainboard / motherboard, with or without optional boards, shall be 20% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

2.0	Bare PCB	Domestic PCB Manufacturing including all the processes of preparation of insulating substrate, printing layers to laminate (laminating), masking, plating, etching and profiling etc from imported and or locally manufactured parts / inputs. The weightage of the total value of the Bare PCB shall be **10%** of the total Bill of Materials (BoM) for the product. The value attributable to Domestic Manufacturing of the Bare PCB shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
3.0	a) PCBA of Primary Memory (RAM)	Domestic Assembly of PCB* means assembly of the product in India using imported and / or domestically manufactured components, sub-assemblies, and semiconductors. The value of the bare Printed Circuit Board (PCB) shall not be included in the calculation of Domestic Assembly. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Primary Memory (RAM) shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b) Domestic ATMP of Primary Memory (RAM)	Where Primary Memory (RAM) is manufactured and packaged in India through Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) operations, an additional value addition of **6%** of the total Bill of Materials (BoM) of the product will be considered towards Domestic Assembly of PCB, over and above the value addition specified at clause (a) above. Accordingly, the total value attributable to (a) PCBA of Primary Memory (RAM) & (b) Domestic ATMP of Primary Memory (RAM) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
4.0	a) PCBA of Storage i) Solid State Drive (SSD) OR ii) Hard Disk Drive (HDD)	Domestic Assembly of PCB* means assembly of the product in India using imported and / or domestically manufactured components, sub-assemblies, and semiconductors. The value of the bare Printed Circuit Board (PCB) shall not be included in the calculation of Domestic Assembly. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Storage shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b) Domestic ATMP of Storage i.e Solid-State Drive (SSD)	Where Storage (SSD) is manufactured and packaged in India through Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) operations, an additional value addition of 6% of the total Bill of Materials (BoM) of the product will be considered towards Domestic Assembly, over and above the value addition specified at clause (a) above. Accordingly, the total value attributable to a) PCBA of Storage (SSD) & (b) Domestic ATMP of Storage (SSD) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
5.0	5(1) Display Panel (LED / LCD etc.) Assembly – For AIO-PC	a) Domestic assembly and testing of Display Assembly (From sub-modules such as the LCD Module, Backlight Unit, Polarization Film, Frame, and related mechanical elements). The value attributable to Display Panel Assembly under this stage at (a) shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product. b) Domestic Advanced Display Assembly covered under (a), with the additional inclusion of domestic Chip-on-Glass (CoG) and Chip-on-Flex / Film (CoF) processing. The value attributable to Display Panel Assembly under this stage at (b) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	#5(2) Computer Monitor Assembly – For Desktop PC	The computer monitor assembly should be mandatorily done in India. the Domestic Value Addition shall be computed as per Para 2.5 (Computer Monitors). The value attributable to domestically manufactured Computer Monitors shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

6.0	Chassis / Cabinet with its Cables and relevant accessories.	Domestically manufactured chassis / cabinet from domestically manufactured parts / inputs meeting Indian Standards as notified from time to time. The value attributable to domestically manufactured chassis / cabinet shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
7.0	SMPS / Power Module	Domestically manufactured and Domestic PCB Assembly* of SMPS / Power module from imported/ domestically manufactured sub-assemblies, parts and components, subject to the condition that the domestically manufactured sub-assemblies, parts and components used in the assembly of "SMPS" will be minimum 25% (of the total value of sub-assemblies, parts and components used in the manufacture of "SMPS / Power Module"). The value attributable to SMPS / Power Module under this stage shall be 5% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
8.0	Keyboard / Mouse with other embedded peripherals (Wifi or other applicable module etc) cables, connectors and packaging etc.	Domestic PCB Assembly* of keyboard / mouse from imported / domestically manufactured parts and components. The value attributable to keyboard / mouse under this stage shall be 2% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
9.0	In-house R&D in India	In-house Research and Development (R&D) activities to be executed within India by the manufacturer using its own R&D infrastructure and human resources, or through legally contracted R&D units, registered with the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR). Eligible R&D should be directly linked to the specific product model under evaluation and shall be limited to: i) scientific and applied research: - product and system architecture development; or ii) Integrated Circuit (IC) / semiconductor module or IP design: - hardware and firmware co-design; or iii) Process and design optimization: - validation, characterization, prototyping, and experimental testing. Any such activity shall be performed using manpower deployed in India and shall result in verifiable economic value creation within India. The costs attributable to R&D shall be supported by auditable records and certified by a Chartered Accountant (CA) or Statutory auditor. The value attributable to In-house R&D activities shall be 8% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

10.0	Indian Design / IPR in India	Indian Design / IPR in India means substantive product design, IC / Semiconductor module or IP design, and related engineering design activities undertaken in India by the applicant or its legally contracted Indian design entity. The resulting Intellectual Property (IP), including patents, copyrights, registered designs, design licenses/rights and protected trade secrets, shall be registered with the relevant Indian competent authority (Patent Office, Design Office, Copyright Registry etc. where registrable), and the applicant shall provide a CA / Statutory Auditor certificate confirming its origin, development in India, and ownership or valid assignment to the applicant. Any localisation, minor modification, alteration of design documentation, testing or manufacturing support for a finished product, or mere registration, transfer or licensing in India of any design or IP developed outside India, shall not qualify as domestically conducted designing. The value attributable to such design and IPR shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
11.0	#Final Assembly and Testing	Domestically assembly and final testing should be mandatorily done in India to ensure the compliance with applicable Indian Standards as notified from time to time. The value attributable to Domestic assembly and final testing shall be 5% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

*Note: - ****Printed Circuit Board Assembly (PCBA)*** *of all parts and components on the bare PCB through the Surface Mount Technology (SMT) process is to be undertaken in India.*

*# Activities corresponding to BoM Item at S.No. 1 (Assembly of Main Board/Mother board including I/O etc)**, S. No. 5(2) (Computer Monitor Assembly – For Desktop PC), and BoM Item S.No. 11 (Final Assembly and Testing) shall mandatorily be undertaken in India for public procurement irrespective of the class of the supplier ie if these items are not performed for a product in India, then it would not qualify for bidding for public procurement as it is not meeting mandatory condition.*

2.2 Laptop Personal Computers (Laptop)

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Laptop PC (commonly known in the market as Laptop/ Notebook / Ultrabook, etc.) shall necessarily consist of a Processing Unit, primary memory (RAM), storage as Solid-state Drive (SSD) / hard disk drive (HDD), Keyboard, Touchpad and/ or TrackPoint, an integrated display unit, integrated battery and should be able to operate independently.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BoM) of a Laptop PC would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Sr. No.	**Main inputs in BoM / stages for manufacture of Laptop PC**	**Value addition / local content required for the input to be classified as domestic BoM**
	1	**2**
1.0	#Assembly of Mainboard / Motherboard including I/O or application specification Board or add on cards (optional)	Domestic PCB Assembly* including components / semiconductors from imported and / or locally manufactured parts but excluding the value of the bare PCB, should be mandatorily done in India. The value attributable to Domestic PCB Assembly of mainboard / motherboard, with or without optional boards, shall be 15% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

2.0	Bare PCB	Domestic PCB Manufacturing including all the processes of preparation of insulating substrate, printing layers to laminate (laminating), masking, plating, etching and profiling etc from imported and or locally manufactured parts/inputs. The value attributable to Domestic Manufacturing of the Bare PCB shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
3.0	a) PCBA of Primary Memory (RAM)	(a) Domestic Assembly of PCB* means assembly of the product in India using imported and / or domestically manufactured components, sub-assemblies, and semiconductors. The value of the bare Printed Circuit Board (PCB) shall not be included in the calculation of Domestic Assembly. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Primary Memory (RAM) shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b) Domestic ATMP of Primary Memory (RAM)	Where Primary Memory (RAM) is manufactured and packaged in India through Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) operations, an additional value addition of 6% of the total Bill of Materials (BoM) of the product will be considered towards Domestic Assembly, over and above the value addition specified at clause (a) above. Accordingly, the total value attributable to (a) PCBA of Primary Memory (RAM) & (b) Domestic ATMP of Primary Memory (RAM) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
4.0	a) PCBA of Storage i) Solid State Drive (SSD) OR ii) Hard Disk Drive (HDD)	Domestic Assembly of PCB* means assembly of the product in India using imported and / or domestically manufactured components, sub-assemblies, and semiconductors. The value of the bare Printed Circuit Board (PCB) shall not be included in the calculation of Domestic Assembly. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Storage shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b) Domestic ATMP of Storage i.e Solid-State Drive (SSD)	Where Storage (SSD) is manufactured and packaged in India through Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) operations, an additional value addition of 6% of the total Bill of Materials (BoM) of the product will be considered towards Domestic Assembly, over and above the value addition specified at clause (a) above. Accordingly, the total value attributable to a) PCBA of Storage (SSD) & (b) Domestic ATMP of Storage (SSD) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
5.0	a) Display Panel (LED / LCD etc.) Assembly	a) Domestic Assembly and testing of Display (from sub-modules such as the LED / LCD module, Backlight Unit, Polarization film, Frame and related mechanical elements). The value attributable to Display Panel Assembly under this stage at (a) shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b). Display Panel (LED / LCD etc.) with CoG / CoF	b) Domestic Advanced Display Assembly covered under (a), with the additional inclusion of domestic Chip-on-Glass (CoG) and Chip-on-Flex / Film (CoF) processing. Accordingly, the value attributable to Display Panel Assembly under this stage at (b) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

6.0	Chassis / Cabinet with Cables and accessories.	Domestically manufactured chassis / cabinet from domestically manufactured parts / inputs meeting Indian Standards as notified from time to time. The value attributable to domestically manufactured chassis / cabinet shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
7.0	Power Module / Power Adaptor	Domestically manufactured and Domestic PCB Assembly* of Power Module / Power Adaptor from imported / domestically manufactured sub-assemblies, parts and components, subject to the condition that the domestically manufactured sub-assemblies, parts and components used in the assembly of "Power Module / Power Adaptor" will be minimum 25% (of the total value of sub-assemblies, parts and components used in the manufacture of "Power Module / Power Adaptor"). The value attributable to Power Module / Power Adapter under this stage shall be 5% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
8.0	Battery Pack	Domestically manufactured battery pack from imported/ domestically manufactured sub-assemblies, parts and components, subject to the condition that the domestically manufactured parts and components used in the assembly of "Battery Pack" will be minimum 25% (of the total value of sub-assemblies, parts and components used in the manufacture of Battery Module). The value attributable to domestically manufactured Battery Pack shall be 5% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
9.0	Keyboard / Mouse with other embedded peripherals	Domestic PCB Assembly* of keyboard / mouse from imported / domestically manufactured parts and components. The value attributable to keyboard / mouse under this stage shall be 2% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
10.0	In-house R&D in India	In-house Research and Development (R&D) activities to be executed within India by the manufacturer using its own R&D infrastructure and human resources, or through legally contracted R&D units, registered with the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR). Eligible R&D should be directly linked to the specific product model under evaluation and shall be limited to i) scientific and applied research: - product and system architecture development; or ii) Integrated Circuit (IC)/semiconductor module or IP design: - hardware and firmware co-design; or iii) Process and design optimization: - validation, characterization, prototyping, and experimental testing. Any such activity shall be performed using manpower deployed in India and shall result in verifiable economic value creation within India. The costs attributable to R&D shall be supported by auditable records and certified by a Chartered Accountant (CA) or Statutory auditor. The value attributable to In-house R&D activities shall be 8% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
11.0	Indian Design / IPR in India	Indian Design / IPR in India means substantive product design, IC / semiconductor module or IP design, and related engineering design activities undertaken in India by the applicant or its legally contracted Indian design entity. The resulting Intellectual Property (IP), including patents, copyrights, registered designs, design licenses / rights and protected trade secrets, shall be registered with the relevant Indian competent authority (Patent Office, Design Office, Copyright Registry etc. where registrable), and the applicant shall provide a CA / Statutory Auditor certificate confirming its origin, development in India, and ownership or valid assignment to the applicant. Any localisation, minor modification, alteration of design documentation, testing or manufacturing support for a finished product, or mere registration, transfer or licensing in India of any design or IP developed outside India, shall not qualify as domestically conducted designing. The value attributable to such design and IPR shall be 10% of the total Bill of

		Materials (BoM) of the product.
12.0	#Final Assembly and Testing	Domestically assembly and final testing should be mandatorily done in India to ensure the compliance with applicable Indian Standards as notified from time to time. The value attributable to Domestic assembly and final testing shall be 5% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

*Note: - ****Printed Circuit Board Assembly (PCBA)*** *of all parts and components on the bare PCB through the Surface Mount Technology (SMT) process is to be undertaken in India.*

 # Activities corresponding to BoM Item at S.No. 1 (Assembly of Mainboard / Motherboard including I/O etc) and BoM Item S.No. 12 (Final Assembly and Testing) shall mandatorily undertake in India for public procurement irrespective of the class of the supplier ie if these items are not performed for a product in India, then it would not qualify for bidding for public procurement as it is not meeting mandatory condition.

2.3 Thin Clients

(A) Definition:

For the purposes of this Notification, a Thin Client shall be defined as a system that necessarily includes the following components: a Processing Unit, primary memory (RAM), storage as Solid-state Drive (SSD)/hard disk drive (HDD), and a separate or integrated display unit and the same must be capable of operating independently.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Thin Client would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in the corresponding Column 2 of the table:

Sr. No.	**Main inputs in BoM / stages for manufacture of Thin Client**	**Value addition / local content required for the input to be classified as domestic BOM**
	1	**2**
1.0	#Assembly of Mainboard / Motherboard including I/O or application specification Board or add on cards (optional)	Domestic PCB Assembly* including components/ semiconductors from imported and / or locally manufactured parts but excluding the value of the bare PCB, should be mandatorily done in India. The value attributable to Domestic PCB Assembly of mainboard / motherboard, with or without optional boards, shall be 20% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
2.0	Bare PCB	Domestic PCB Manufacturing including all the processes of preparation of insulating substrate, printing layers to laminate (laminating), masking, plating, etching and profiling etc from imported and or locally manufactured parts/inputs. The value attributable to Domestic Manufacturing of the Bare PCB shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

3.0	a) PCBA of Primary Memory (RAM)	Domestic Assembly of PCB* means assembly of the product in India using imported and / or domestically manufactured components, sub-assemblies, and semiconductors. The value of the bare Printed Circuit Board (PCB) shall not be included in the calculation of Domestic Assembly. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Primary Memory (RAM) shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b) Domestic ATMP of Primary Memory (RAM)	Where Primary Memory (RAM) is manufactured and packaged in India through Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) operations, an additional value addition of 6% of the total Bill of Materials (BoM) of the product will be considered towards Domestic Assembly, over and above the value addition specified at clause (a) above. Accordingly, the total value attributable to (a) PCBA of Primary Memory (RAM) & (b) Domestic ATMP of Primary Memory (RAM) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
4.0	a) PCBA of Storage i) Solid State Drive (SSD) OR ii) Hard Disk Drive (HDD)	Domestic Assembly of PCB* means assembly of the product in India using imported and / or domestically manufactured components, sub-assemblies, and semiconductors. The value of the bare Printed Circuit Board (PCB) shall not be included in the calculation of Domestic Assembly. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Storage shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b) Domestic ATMP of Storage i.e Solid-State Drive (SSD)	Where Storage (SSD) is manufactured and packaged in India through Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) operations, an additional value addition of 6% of the total Bill of Materials (BoM) of the product will be considered towards Domestic Assembly, over and above the value addition specified at clause (a) above. Accordingly, the total value attributable to a) PCBA of Storage (SSD) & (b) Domestic ATMP of Storage (SSD) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
5.0	#Computer Monitor Assembly	Domestic Value Addition shall be computed as per Para 2.5 (Computer Monitors). The value attributable to Computer Monitors shall be upto 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product. This shall be calculated as per Para 2.5 (Computer Monitors) on a pro-rata basis.
6.0	Chassis / Cabinet with its Cables and relevant accessories.	Domestically manufactured chassis / cabinet from domestically manufactured parts / inputs meeting Indian Standards as notified from time to time. Accordingly, the value attributable to domestically manufactured chassis / cabinet shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
7.0	SMPS / Power Module	Domestically manufactured and Domestic PCB Assembly* of SMPS from imported / domestically manufactured sub-assemblies, parts and components, subject to the condition that the domestically manufactured sub-assemblies, parts and components used in the assembly of "SMPS / Power Module" will be minimum 25% (of the total value of sub-assemblies, parts and components used in the manufacture of "SMPS / Power Module"). The value attributable to SMPS / Power Module under this stage shall be 5% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
8.0	Keyboard / Mouse with other embedded peripherals (Wifi or other applicable module etc) cables, connectors and packaging etc.	Domestic PCB Assembly* of keyboard / mouse with other embedded peripherals from imported / domestically manufactured parts and components. The value attributable to keyboard / mouse with other embedded peripherals under this stage shall be 2% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
9.0	In-house R&D in India	In-house Research and Development (R&D) activities to be executed within India by the manufacturer using its own R&D infrastructure and human resources, or through legally contracted R&D units, registered with the

		Department of Scientific and Industrial Research (DSIR). Eligible R&D should be directly linked to the specific product model under evaluation and shall be limited to: i) scientific and applied research: - product and system architecture development; or ii) Integrated Circuit (IC)/ semiconductor module or IP design: - hardware and firmware co-design; or iii) Process and design optimization: - validation, characterization, prototyping, and experimental testing. Any such activity shall be performed using manpower deployed in India and shall result in verifiable economic value creation within India. The costs attributable to R&D shall be supported by auditable records and certified by a Chartered Accountant (CA) or Statutory auditor. The value attributable to R&D activities shall be 8% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
10.0	Indian Design / IPR in India	Indian Design / IPR in India means substantive product design, IC/semiconductor module or IP design, and related engineering design activities undertaken in India by the applicant or its legally contracted Indian design entity. The resulting Intellectual Property (IP), including patents, copyrights, registered designs, design licenses / rights and protected trade secrets, shall be registered with the relevant Indian competent authority (Patent Office, Design Office, Copyright Registry etc. where registrable), and the applicant shall provide a CA/Statutory Auditor certificate confirming its origin, development in India, and ownership or valid assignment to the applicant. Any localisation, minor modification, alteration of design documentation, testing or manufacturing support for a finished product, or mere registration, transfer or licensing in India of any design or IP developed outside India, shall not qualify as domestically conducted designing. The value attributable to such design and IPR shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
11.0	#Final Assembly and Testing	Domestically assembly and final testing should be mandatorily done in India to ensure the compliance with applicable Indian Standards as notified from time to time. The value attributable to Domestic assembly and final testing shall be 5% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

*Note: - ****Printed Circuit Board Assembly (PCBA)*** *of all parts and components on the bare PCB through the Surface Mount Technology (SMT) process is to be undertaken in India.*

 # Activities corresponding to BoM Item at S.No. 1 (Assembly of Mainboard / Motherboard including I/O etc), S. No. 5 (Computer Monitor Assembly) and BoM Item S.No. 11 (Final Assembly and Testing) shall mandatorily undertake in India for public procurement irrespective of the class of the supplier ie if these items are not performed for a product in India, then it would not qualify for bidding for public procurement as it is not meeting mandatory condition.

2.4 Servers

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Server shall necessarily consist of a Mother Board, CPU, Memory (RAM), Hard Disk Drive (HDD) / Solid State Storage Drive (SSD), Power Supply Unit (SMPS), Chassis, Connecting Cables and Firmware & OS.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Server would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table.

Sr. No.	Main inputs in BoM / stages for manufacture of Server	Value addition / local content required for the input to be classified as domestic BOM
	1	**2**
1.0	#Assembly of Mainboard / Motherboard or application specification Boards	Domestic PCB Assembly* including components / semiconductors from imported and / or locally manufactured parts but excluding the value of the bare PCB, should be mandatorily done in India. i) Where the CPU and GPU are mounted on separate board(s), the value attributable to Domestic PCB Assembly of CPU Board shall be 15% of the total Bill of Materials (BoM) of the product, and the value attributable to Domestic PCB Assembly of GPU Board shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product. ii) Where the CPU and GPU are mounted on the same board, whether as separate chips or integrated into a single chip, the value attributable to Domestic PCB Assembly of such board shall be 25% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
2.0	Bare PCB	Domestic PCB Manufacturing including all the processes of preparation of insulating substrate, printing layers to laminate (laminating), masking, plating, etching and profiling etc from imported and or locally manufactured parts/inputs. The value attributable to Domestic Manufacturing of the Bare PCB shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
3.0	a) PCBA of Primary Memory (RAM)	Domestic Assembly of PCB* means assembly of the product in India using imported and / or domestically manufactured components, sub-assemblies, and semiconductors. The value of the bare Printed Circuit Board (PCB) shall not be included in the calculation of Domestic Assembly. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Primary Memory (RAM) shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b) Domestic ATMP of Primary Memory (RAM)	Where Primary Memory (RAM) is manufactured and packaged in India through Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) operations, an additional value addition of 6% of the total Bill of Materials (BoM) of the product will be considered towards Domestic Assembly, over and above the value addition specified at clause (a) above. Accordingly, the total value attributable to (a) PCBA of Primary Memory (RAM) & (b) Domestic ATMP of Primary Memory (RAM) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
4.0	a) PCBA of Storage i) Solid State Drive (SSD) OR ii) Hard Disk Drive (HDD)	Domestic Assembly of PCB* means assembly of the product in India using imported and / or domestically manufactured components, sub-assemblies, and semiconductors. The value of the bare Printed Circuit Board (PCB) shall not be included in the calculation of Domestic Assembly. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Storage shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b) Domestic ATMP of Storage i.e Solid-State Drive (SSD)	Where Storage (SSD) is manufactured and packaged in India through Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) operations, an additional value addition of 6% of the total Bill of Materials (BoM) of

		the product will be considered towards Domestic Assembly, over and above the value addition specified at clause (a) above. Accordingly, the total value attributable to a) PCBA of Storage (SSD) & (b) Domestic ATMP of Storage (SSD) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
5.0	Chassis / Cabinet with Cables and other accessories.	Domestically manufactured chassis / cabinet from domestically manufactured parts / inputs meeting Indian Standards as notified from time to time. The value attributable to domestically manufactured chassis / cabinet shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
6.0	SMPS / Power Module	Domestically manufactured and Domestic PCB Assembly* of SMPS from imported / domestically manufactured sub-assemblies, parts and components, subject to the condition that the domestically manufactured sub-assemblies, parts and components used in the assembly of "SMPS / Power Module" will be minimum 25% (of the total value of sub-assemblies, parts and components used in the manufacture of "SMPS / Power Module"). The value attributable to SMPS / Power Module under this stage shall be 8% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
7.0	Add-on Controllers RAID Controller / Adapter Network Interface Controllers	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured chips** and parts/ components on imported / domestically manufactured bare PCB, excluding the value of bare PCB. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Add-on-Controllers shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
8.0	In-house R&D in India	In-house Research and Development (R&D) activities to be executed within India by the manufacturer using its own R&D infrastructure and human resources, or through legally contracted R&D units, registered with the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR). Eligible R&D should be directly linked to the specific product model under evaluation and shall be limited to: i) scientific and applied research: - product and system architecture development; or ii) Integrated Circuit (IC)/semiconductor module or IP design: - hardware and firmware co-design; or iii) Process and design optimization: - validation, characterization, prototyping, and experimental testing. Any such activity shall be performed using manpower deployed in India and shall result in verifiable economic value creation within India. The costs attributable to R&D shall be supported by auditable records and certified by a Chartered Accountant (CA) or Statutory auditor. The value attributable to R&D activities shall be 8% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
9.0	Indian Design / IPR in India	Indian Design / IPR in India means substantive product design, IC / semiconductor module or IP design, and related engineering design activities undertaken in India by the applicant or its legally contracted Indian design entity. The resulting Intellectual Property (IP), including patents, copyrights, registered designs, design licenses / rights and protected trade secrets, shall be registered with the relevant Indian competent authority (Patent Office, Design Office, Copyright Registry etc. where registrable), and the applicant shall provide a CA / Statutory Auditor certificate confirming its origin, development in India, and ownership or valid assignment to the applicant. Any localisation, minor modification, alteration of design documentation, testing or manufacturing support for a finished product, or mere registration, transfer or licensing in India of any design or IP

		developed outside India, shall not qualify as domestically conducted designing. The value attributable to such design and IPR shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
10.0	#Final Assembly and Testing	Domestically assembly and final testing should be mandatorily done in India to ensure the compliance with applicable Indian Standards as notified from time to time. The value attributable to Domestic assembly and final testing shall be 5% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

*Note: - ****Printed Circuit Board Assembly (PCBA)** *of all parts and components on the bare PCB through the Surface Mount Technology (SMT) process is to be undertaken in India.*

 # Activities corresponding to BoM Item at S.No. 1 (Assembly of Mainboard / Motherboard including I/O etc) and BoM Item S.No. 10 (Final Assembly and Testing) shall mandatorily undertake in India for public procurement irrespective of the class of the supplier ie if these items are not performed for a product in India, then it would not qualify for bidding for public procurement as it is not meeting mandatory condition.

2.5 Computer Monitors

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Computer Monitor (commonly known in the market as Monitor) shall necessarily consist of an LCD/ LED Display assembly, Logic card, Power Supply Adaptor and Cabinet with Display Ports for connecting it to a Desktop PC or integrated with AIO/ Laptop PC/Tablet PC.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Computer Monitor would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table.

Sr. No.	**Main inputs in BoM / stages for manufacture of Computer Monitor**	**Value addition / local content required for the input to be classified as domestic BOM**
	1	**2**
1.0	#Logic Cards	Domestic PCB Assembly* including components / semiconductors from imported and / or locally manufactured parts but excluding the value of the bare PCB, should be mandatorily done in India. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Logic Cards, with or without optional boards, shall be 15% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
2.0	Bare PCB	Domestic PCB Manufacturing including all the processes of preparation of insulating substrate, printing layers to laminate (laminating), masking, plating, etching and profiling etc from imported and or locally manufactured parts / inputs. The value attributable to Domestic Manufacturing of the Bare PCB shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

3.0	# a) Display Panel (LED / LCD etc.) Assembly	Domestic Assembly and testing of Display (from sub-modules such as the LED / LCD module, Backlight Unit, Polarization film, Frame and related mechanical elements) should be mandatorily done in India. The value attributable to Display Panel Assembly under this stage at (a) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b) Display Panel (LED / LCD etc.) with CoG / CoF	Domestic Advanced Display Assembly covered under (a), with the additional inclusion of domestic Chip-on-Glass (CoG) and Chip-on-Flex / Film (CoF) processing. The value attributable to Display Panel Assembly under this stage at (b) shall be 20% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
4.0	Chassis / Cabinet with other accessories (Cables).	Domestically manufactured chassis / cabinet from domestically manufactured parts / inputs meeting Indian Standards as notified from time to time. The value attributable to domestically manufactured chassis / cabinet shall be 15% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
5.0	Power Module / Adapter	Domestically manufactured and Domestic PCB Assembly* of Power Module / Power Adaptor from imported / domestically manufactured sub-assemblies, parts and components, subject to the condition that the domestically manufactured sub-assemblies, parts and components used in the assembly of "Power Module / Power Adapter" will be minimum 25% (of the total value of sub-assemblies, parts and components used in the manufacture of "Power Module / Power Adaptor"). The value attributable to Power Module / Adapter under this stage shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
6.0	In-house R&D in India	In-house Research and Development (R&D) activities to be executed within India by the manufacturer using its own R&D infrastructure and human resources, or through legally contracted R&D units, registered with the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR). Eligible R&D should be directly linked to the specific product model under evaluation and shall be limited to: i) scientific and applied research: - product and system architecture development; or ii) Integrated Circuit (IC)/semiconductor module or IP design: - hardware and firmware co-design; or iii) Process and design optimization: - validation, characterization, prototyping, and experimental testing. Any such activity shall be performed using manpower deployed in India and shall result in verifiable economic value creation within India. The costs attributable to R&D shall be supported by auditable records and certified by a Chartered Accountant (CA) or Statutory auditor. The value attributable to R&D activities shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
7.0	Indian Design / IPR in India	Indian Design / IPR in India means substantive product design, IC / semiconductor module or IP design, and related engineering design activities undertaken in India by the applicant or its legally contracted Indian design entity. The resulting Intellectual Property (IP), including patents, copyrights, registered designs, design licenses / rights and protected trade secrets, shall be registered with the relevant Indian competent authority (Patent Office, Design Office, Copyright Registry etc. where registrable), and the applicant shall provide a CA/Statutory Auditor certificate confirming its origin, development in India, and ownership or valid assignment to the applicant. Any localisation, minor modification, alteration of design documentation, testing or manufacturing support for a finished product, or mere registration, transfer or licensing in India of any design or IP developed outside India, shall not qualify as domestically

		conducted designing. The value attributable to such design and IPR shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
8.0	# Final Assembly and Testing	Domestically assembly and final testing should be mandatorily done in India to ensure the compliance with applicable Indian Standards as notified from time to time. The value attributable to Domestic assembly and final testing shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

*Note: - ****Printed Circuit Board Assembly (PCBA)** *of all parts and components on the bare PCB through the Surface Mount Technology (SMT) process is to be undertaken in India.*

 # Activities corresponding to BoM Item at S.No. 1 (Assembly of Main Board/Mother board including I/O & Logic cards etc), BoM Item at S. No. 3(a) Display Panel (LED/LCD etc.) Assembly and BoM Item S.No. 8 (Final Assembly and Testing) shall mandatorily undertake in India for public procurement irrespective of the class of the supplier ie if these items are not performed for a product in India, then it would not qualify for bidding for public procurement as it is not meeting mandatory condition.

2.6 Interactive Flat Panel Display (IFPD)

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, an Interactive Flat Panel Display (IFPD (commonly known in the market as IFPD) shall necessarily consist of an LCD/ LED Display assembly, Logic card, Power Supply Adaptor and Cabinet with Display Ports etc.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Interactive Flat Panel Display (IFPD) would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table.

Sr. No.	**Main inputs in BoM / stages for manufacture of Interactive Flat Panel Display (IFPD)**	**Value addition / local content required for the input to be classified as domestic BOM**
	1	**2**
1.0	# Assembly of Mainboard / Motherboard with I/O or application specification Board or add on cards (optional)	Domestic PCB Assembly* including components/ semiconductors from imported and / or locally manufactured parts but excluding the value of the bare PCB, should be mandatorily done in India. The value attributable to Domestic PCB Assembly of mainboard / motherboard, with or without optional boards, shall be 15% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
2.0	Bare PCB	Domestic PCB Manufacturing including all the processes of preparation of insulating substrate, printing layers to laminate (laminating), masking, plating, etching and profiling etc from imported and or locally manufactured parts/inputs. The value attributable to Domestic Manufacturing of the Bare PCB shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
3.0	a) PCBA of Primary Memory (RAM)	Domestic Assembly of PCB* means assembly of the product in India using imported and / or domestically manufactured components, sub-assemblies, and semiconductors. The value of the bare Printed Circuit Board (PCB) shall not be included in the calculation of Domestic Assembly. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Primary Memory (RAM) shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

	b) Domestic ATMP of Primary Memory (RAM)	Where Primary Memory (RAM) is manufactured and packaged in India through Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) operations, an additional value addition of 6% of the total Bill of Materials (BoM) of the product will be considered towards Domestic Assembly, over and above the value addition specified at clause (a) above. Accordingly, the total value attributable to (a) PCBA of Primary Memory (RAM) & (b) Domestic ATMP of Primary Memory (RAM) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
4.0	a) PCBA of Storage i) Solid State Drive (SSD) OR ii) Hard Disk Drive (HDD)	Domestic Assembly of PCB* means assembly of the product in India using imported and / or domestically manufactured components, sub-assemblies, and semiconductors. The value of the bare Printed Circuit Board (PCB) shall not be included in the calculation of Domestic Assembly. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Storage shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b) Domestic ATMP of Storage i.e Solid-State Drive (SSD)	Where Storage (SSD) is manufactured and packaged in India through Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) operations, an additional value addition of 6% of the total Bill of Materials (BoM) of the product will be considered towards Domestic Assembly, over and above the value addition specified at clause (a) above. Accordingly, the total value attributable to a) PCBA of Storage (SSD) & (b) Domestic ATMP of Storage (SSD) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
5.0	Logic Cards / Micro Controller / Touch Card or another optional card etc. (PCBA)	Domestic PCB Assembly of Logic cards from imported/ domestically manufactured chips** and parts/ components on imported / domestically manufactured, excluding the value of bare PCB of logic cards or touch Card etc. The value attributable to Domestic PCB Assembly of Logic Cards shall be 4% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
6.0	# a) Interactive Display Glass Panel Assembly	Domestic assembly and testing of Display Assembly (From sub-modules such as the LCD Module, Backlight Unit, Polarization Film, Frame, and related mechanical elements), should be mandatorily done in India. The value attributable to Interactive Display Glass Panel Assembly under this stage at (a) shall be 10% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
	b) Interactive Display Glass Panel Assembly with CoG / CoF	Domestic Advanced Display Assembly covered under (a), with the additional inclusion of domestic Chip-on-Glass (CoG) and Chip-on-Flex / Film (CoF) processing. The value attributable to Interactive Display Glass Panel Assembly under this stage at (b) shall be 20% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
7.0	Chassis or outer frame with cables and accessories	Domestically manufactured from domestically sourced / manufactured parts / inputs meeting Indian Standards as notified from time to time. The value attributable to domestically manufactured chassis / cabinet shall be 5% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
8.0	Power Module / Adapter	Domestically manufactured and Domestic PCB Assembly* of Power Module / Power Adaptor from imported / domestically manufactured sub-assemblies, parts and components, subject to the condition that the domestically manufactured sub-assemblies, parts and components used in the assembly of "Power Module / Adapter" will be minimum 25% (of the total value of sub-assemblies, parts and components used in the manufacture of "Power Module/Power Adaptor"). The value attributable to Power Module / Adapter under this stage shall be 5% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

9.0	In-house R&D in India	In-house Research and Development (R&D) activities to be executed within India by the manufacturer using its own R&D infrastructure and human resources, or through legally contracted R&D units, registered with the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR). Eligible R&D should be directly linked to the specific product model under evaluation and shall be limited to: i) scientific and applied research: - product and system architecture development; or ii) Integrated Circuit (IC) / semiconductor module or IP design: - hardware and firmware co-design; or iii) Process and design optimization: - validation, characterization, prototyping, and experimental testing. Any such activity shall be performed using manpower deployed in India and shall result in verifiable economic value creation within India. The costs attributable to R&D shall be supported by auditable records and certified by a Chartered Accountant (CA) or Statutory auditor. The value attributable to R&D activities shall be 8% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
10.0	Indian Design / IPR in India	Indian Design / IPR in India means substantive product design, IC / semiconductor module or IP design, and related engineering design activities undertaken in India by the applicant or its legally contracted Indian design entity. The resulting Intellectual Property (IP), including patents, copyrights, registered designs, design licenses / rights and protected trade secrets, shall be registered with the relevant Indian competent authority (Patent Office, Design Office, Copyright Registry etc. where registrable), and the applicant shall provide a CA / Statutory Auditor certificate confirming its origin, development in India, and ownership or valid assignment to the applicant. Any localisation, minor modification, alteration of design documentation, testing or manufacturing support for a finished product, or mere registration, transfer or licensing in India of any design or IP developed outside India, shall not qualify as domestically conducted designing. The value attributable to such design and IPR shall be 8% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.
11.0	# Final Assembly and Testing	Domestically assembly and final testing should be mandatorily done in India to ensure the compliance with applicable Indian Standards as notified from time to time. The value attributable to Domestic assembly and final testing shall be 5% of the total Bill of Materials (BoM) of the product.

*Note: - ****Printed Circuit Board Assembly (PCBA)*** *of all parts and components on the bare PCB through the Surface Mount Technology (SMT) process is to be undertaken in India.*

 # Activities corresponding to BoM Item at S. No. 1 (Assembly of Main Board/Mother board including I/O etc), BoM Item at S. No. 6(a) Interactive Display Glass Panel Assembly and BoM Item S. No. 11 (Final Assembly and Testing) shall mandatorily undertake in India for public procurement irrespective of the class of the supplier ie if these items are not performed for a product in India, then it would not qualify for bidding for public procurement as it is not meeting mandatory condition.

3. The notification will come into effect after six (6) months from the date of publication in the Gazette of India and shall remain valid till the revised notification is issued.

4. Purchase Preference shall be provided as per the provisions cited in the DPIIT's Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 dated 19.07.2024 as amended from time to time,

5. The notification would also be applicable to all Central Schemes (CS)/ Central Sector Schemes (CSS) for the procurement of electronic products made by States and local bodies, if project or scheme is fully or partially funded by Government of India.

6. **Procedure for calculating local content/ domestic value addition**:

6.1 Bill of Material sourced from domestic manufacturers (Dom_BOM) may be calculated based on one of the followings depending on data available:

a) Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/ set-off can be taken) and which have not been imported directly or through a domestic trader or an intermediary. OR

b) Ex-Factory Price of product minus profit after tax minus sum of imported Bill of Material used (directly or indirectly) as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/ set-off can be taken) minus warranty costs. OR

c) Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax minus warranty costs minus sum of Imported Bill of Material used as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken) minus sales and marketing expenses.

6.2 Total Bill of Material (Total BOM) may be calculated based on one of the following depending on data available:

a) Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken). OR

b) Ex-Factory Price of product minus profit after tax, minus warranty costs. OR

c) Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax, minus warranty costs minus sales and marketing expenses.

6.3 The percentage of domestic value-addition may be calculated as per the following formula:

Domestic Value Addition $$\text{DVA}\ (\%) = \left(\frac{\text{Dom_BOM}}{\text{Total BoM}}\right) \times 100$$

7. **Verification of Domestic Value Addition**

a) As per the provisions of the Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017, dated 19.07.2024, as amended from time to time, the bidder shall submit a self-certification confirming that the item offered meets the prescribed local content requirement for a 'Class-I Local Supplier' or 'Class-II Local Supplier', as applicable. The bidder shall also give details of the location(s) at which the local value addition is made. The bidder shall submit the duly completed calculation of Domestic Value Addition (DVA) in the prescribed format, as provided at **Annexure-A**, to substantiate the domestic value addition claimed in the self-certification. Self-certification without the **Annexure-A** would not be a valid and therefore would be rejected.

b) In cases of procurement for a value in excess of Rs.10 crore, the local supplier shall provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content.

c) False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules (GFR) for which a bidder or its successors can be debarred as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other provisions of bidding, debarment by a single Ministry/Department and revocation of orders as per the Department of Expenditure O.M-No. F.1/20/2018-PPD dated 2nd Nov, 2021 may be permissible under law amended from time to time.

d) In case a complaint is received by the procuring agency or complainant through the procuring agency or the concerned Ministry/Department against the claim of a bidder regarding local content/ domestic value addition in an Electronic Product(s), after issuance of the contract/purchase order etc, the same shall be referred to STQC / MeitY.

e) Any complaint referred to STQC shall be disposed of within 4 weeks. The bidder through the procuring agencies, shall be required to furnish the necessary documentation in support of the domestic value addition claimed in an Electronic Product(s) to STQC. If no information is furnished by the bidder, such laboratories may take further necessary action, to establish the bonafides of the claim.

f) A complaint fee of Rs.2 Lakh or 1% of the value of the domestically manufactured electronic products being procured (subject to a maximum of Rs. 5 Lakh), whichever is higher, to be paid by Demand Draft to be deposited with STQC. In case, the complaint is found to be incorrect, the complaint fee shall be forfeited. In case, the complaint is upheld and found to be substantially correct, deposited fee of the complainant would be refunded without any interest.

8. MeitY shall be the Nodal Ministry for implementation of this Notification and for monitoring compliance with the provisions relating to Local Content in Electronic Products. In case of any dispute or clarification relating to the calculation of Local Content against the decision of STQC, or any fresh complaint received or forwarded by any complainant or by any Ministry/Department, the matter shall be examined by MeitY. The applicant shall be required to furnish all the requisite documentations in support of the domestic value addition claimed for the product under evaluation to MeitY. The decision of MeitY, after due verification, shall be final and binding for the purpose of this notification. All such matters in MeitY would be examined by a committee as below:

i) Group Coordinator/Scientist- 'G' (IPHW) - Chairperson

ii) Representative of STQC - Member

iii) Representative of R&D Division, MeitY - Member

iv) Any other member(s) as co-opted by the Chairperson - Member

v) Scientist-'E'/'F' from IPHW Division - Member Secretary

SUSHIL PAL, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary on 7th Sept, 2020 and subsequently amended vide S.O. No 4591(E) dated 12 Oct. 2023.

ANNEXURE–A

[(Refer Clause 6.4 of this Notification)]

INDICATIVE FORMAT FOR CALCULATION AND SELF-CERTIFICATION OF DOMESTIC VALUE ADDITION (DVA)

A) PRODUCT & MANUFACTURER DETAILS

S. No.	Particulars	Details
1	Name of Manufacturer / Applicant	*[Insert Manufacturer Name]*
2	Brand & Product Model	*[Insert Brand & Model Number]*
3	Manufacturing Location(s) in India	*[Insert Complete Address of Manufacturing Facility/Facilities]*
4	Classification Claimed	*[Class-I Local Supplier / Class-II Local Supplier]*
5	Other Relevant Details (if any) : optional	*[Insert GSTIN / Registration Details]*

B) DOMESTIC ACTIVITIES & VALUE ADDITION CALCULATION OF *Product Name: [Insert Name of the Product e.g., Laptop / Server / Desktop PC/ IFPD/ Monitor etc.]*

S. No.	Product-Specific Eligible Domestic Activities	Total Cost of Product Input / BoM (₹)	Cost of Domestic Bill of Material (Dom_BoM) (₹) *(Choose Option A, B, or C as applicable) as per Clause 6.1 of the notification*	Reference Value Addition / Weightage Cap Limit (%)	Claimed Value Addition in (%) , subject to eligible weightage as indicated in Column 'D'
	A	B	C	D	E
1	Main Board / Motherboard / Logic Card Assembly *(Mandatory SMT in India)*	*[Insert Value]*	*[Insert Value]*	*15%–25% (Product specific)*	*[Insert %]*

2	Bare PCB Manufacturing	-	-	*10%*	
3	Primary Memory (RAM) PCBA / ATMP	-	-	*(PCBA) / Up to 10% (ATMP)*	
4	Storage (SSD/HDD) PCBA / ATMP	-	-	*(PCBA) / Up to 10% (ATMP)*	
5	Display / Panel Assembly, Computer Monitor Assembly *(Mandatory for Monitors/IFPD)*	-	-	*4%–10% (Standard) / Up to 20% (CoG/CoF)*	
6	Chassis / Cabinet / Mechanical Parts	-	-	*5%–15% (Product specific)*	
7	Power Module / SMPS / Adapter / Battery Pack	-	-	*5%–10% (Product specific) (Min. 25% domestic parts)*	
8	Peripherals / Add-on Controllers / Other Parts	-	-	*2%–4%*	
9	In-house R&D in India *(DSIR registered/audited)*	-	-	*8%*	
10	Indian Design / IPR in India *(Registered IP)*	-	-	*8%–10%*	
11	Final Assembly & Testing *(Mandatory in India)*	-	-	5%–10%	
Total		**₹ [Total Bill of Material (Total BoM)]**	**₹ [Domestic Sum]**	**—**	**[DVA %]**

C) SELF-CERTIFICATION & DECLARATION

1. OEM / Manufacturer Self-Declaration (As per Clause 6.4 & 7)

I/We, _____ *[Authorized Signatory Name & Designation]*, on behalf of _____ *[Company Name]*, hereby declare and certify that:

एक. The product [Insert Brand & Model] meets the required local content thresholds for a [Class-I / Class-II] Local Supplier as per Notification F.No. W-43/2/2024-IPHW.

दो. The Domestic value addition (DVA) is performed at the following facility location(s): *[Insert Full Facility Address(es)]*.

तीन. Mandatory domestic operations *(Mainboard/Motherboard PCBA and Final Assembly & Testing, along with Display Assembly where applicable)* have been performed in India in accordance with the Notification.

चार. The information provided above is true, correct, and based on auditable records. I/We understand that false declarations attract penalties under Rule 175(1)(i)(h) and Rule 151(iii) of the General Financial Rules (GFR).

Date & Place: *(Signature & Seal of Authorized Signatory)*

2. CA / Statutory Auditor Certification

(Mandatory for procurements exceeding ₹10 Crore, or for claiming R&D / Indian IPR value addition)

I/We, the Statutory Auditor / Cost Auditor / Practicing Chartered Accountant of _____ *[Company Name]*, have verified the books of account, cost records, Bill of Materials, and supporting financial/R&D records.

I/We hereby certify that:

एक. The Domestic Value Addition (DVA) calculated for [Insert Brand & Model] is *[Insert Calculated DVA]* % or *Class I/ Class II/Non-Local supplier.*

दो. The calculation strictly adheres to the methodology prescribed in this Notification F.No. W-43/2/2024-IPHW.

Date & Place *(Signature & Stamp of CA/Statutory Auditor)*

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.